लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 28-9-79

की

कार्य सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
28-9-79 में विचारणीय विषयों की सूची

x=x=x=x=x=x

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	7
3	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुध्द प्रगति विवरण	15
4	मोतीझील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प-आय वर्ग के भवनों में से 60 का निर्माण-कार्य ।	16
5	अलीगंज योजना में लीज़रेन्ट निर्धारण के सम्बन्ध में ।	17
6 "क"	हाता रसूल खाँ योजना में उत्तर प्रदेश जल-निगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।	18
"ख"	हाता रानी साहिबा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री खटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में	21
7	विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखों को पूर्ण करना ।	21
8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय सं0:29 शमन-शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।	22
9	लखनऊ के कुछ प्रमुख पार्कों में "ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट" की स्थापना ।	26
10	कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में	28
11	छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।	29
12	नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चार-बाग़ स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।	30

क्रमश:--

क्रम स0	विषय	पृष्ठ स0
13	लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा स्वीकृति रू0 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिपादन हेतु निक्षेप निधि (Sinking Fund) की स्थापना के सम्बन्ध में।	31
14	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हार्टिकल्चर फार्म का कब्ज़ा लिये जाने के सम्बन्ध में।	33
15	जनपथ मार्केट में निर्मित दूकानें हज़रतगंज के विस्थापितों को जिस किराये की दरों को सामान्य व्यक्तियों को आवन्टित की गयी दूकानों पर भी लागू करने के लिये आवेदन-पत्र	35
16	चेतना मंदित मस्तिष्क वाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि।	36
17	विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	38
18	अतिरिक्त मँहगाई भत्ता स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिये।	41
19	प्राधिकरण के कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।	44
20	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

======:::: 0 :::::::=======

एम/आर xxx

मद संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1

विषय : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4 जुलाई, 1979 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 का कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।

=====:::: 0 ::::=====

एम/आर xxx

दिनांक 4-7-79 को 10-00 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुई
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य - विवरण

=×=::{OOO}::=×=

उपस्थित :

1-	श्री पी0पी0खन्ना	आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री डी0एन0श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव, आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
3-	श्री त्रिवेणी सहाय	उप सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
4-	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
5-	श्री ओ0पी0विश्नोई	महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन ।
6-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
7-	श्री करुणा शंकर बाजपेयी	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
8-	श्री एम0ए0तारी	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
9-	श्री बी0के0चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

अन्य उपस्थित :

1-	श्री सुरेन्द्र पाल गौड़	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

विषय संख्या - 1 : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-4-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव : दिनांक 28-4-79 की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण निम्न संशोधन के साथ किया गया :-

विषय संख्या 10 पर डा0टण्डन के भूमि अर्जन के सम्बन्ध में यह निर्णय सूचित किया गया था " डा0टण्डन की भूमि अर्जन से मुक्त न की जाये परन्तु उन्हे अलीगंज योजना में ही उपलब्ध ले-आउट के अनुसार उपयुक्त आकार का एक प्लाट नियमानुसार आवन्टित किया जाय" ।

इस विषय पर श्री निगम, श्री बाजपेयी एवं श्री तारी द्वारा यह कहा गया कि डा0टण्डन को उनकी भूमि का 25% विकसित भूमि नियमानुसार आवन्टित किये जाने का निर्णय लिया गया था ।

विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में दो बिन्दुओं पर आख्या अगली मीटिंग में प्रस्तुत की जाये जिसके बाद मामले में फैसला किया जायेगा :-

क: क्या डा0टण्डन को महापालिका के उस प्रस्ताव, जिसके अनुसार कुछ व्यक्तियों को उनकी भूमि का 25% आवन्टित किया गया है, के अनुसार भूमि का आवन्टन किया जा सकता है ?

ख : ज्ञात किया जाये कि डा0टण्डन के पास कोई भूमि या अपना मकान लखनऊ शहर में है या नहीं तथा डा0टण्डन को भूमि आवन्टन से अर्बन सीलिंग ऐक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन तो नहीं होगा ?

----क्रमशः 2

<u>विषय संख्या -3:</u> विभिन्न योजनाओं का प्रगति विवरण

<u>पारित प्रस्ताव</u> : अवलोकनोपरान्त निर्णय हुआ कि भविष्य में बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट [illegible] में प्रस्तुत की जाये।

<u>विषय संख्या-4</u> : नेहरु नगर, अम्बेडकर नगर तथा इन्द्रपुरी आदि के विस्थापितों को 600 वर्ग फुट भूमि पर भवन निर्माण स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रस्तुत राय जो निम्न प्रकार थी, का अनुमोदन किया गया:-

> " उपरोक्त स्थान पर निर्मित भवनों को नियमित करने के संबंध में मेरे विचार से जो सरकारी लेन प्रस्तावित की गयी है उसको कायम रखा जाये तथा सरकारी लेन पर निर्मित कब्जे को तोड़ दिया जाये। इसके अतिरिक्त आर०बी०ओ० ऐक्ट के प्राविधानों के विपरीत जो निर्माण किये जा चुके हैं उन्हें शमन-शुल्क लेने के उपरान्त शमन कर लिया जाये। भविष्य में नियमित करने के लिए निर्माण आर०बी०ओ० ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार हो इसके लिए उचित व्यवस्था की जाये। "

<u>विषय संख्या -5</u> : तालकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या 4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्रश्नगत प्लाट के पास के भूखंड, जिसपर पेट्रोलपम्प बना हुआ है, के बारे में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये कि इसका भू-उपयोग परिवर्तन तथा लीज की शर्तों का परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया। क्या -ऐसे कोई और भी Prec[illegible]s भी इसके हैं।

<u>विषय संख्या -6</u> : लखनऊ विकास प्राधिकरण में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-11-78, नजूल संबंधी मामलों पर मनोनीत उप समिति की एक बैठक जो उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में दिनांक 6-2-79 को हुई, बैठक की कार्यवाही।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : उप समिति की सिफारिशों से सहमति प्रकट की गयी।

नजूल की संपत्ति के मैनेजमेन्ट की स्थिति काफी गम्भीर है जिसके बारे में चिन्ता प्रकट की गयी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करके नजूल प्रापर्टी के सर्वे का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें तथा शासन को तदनुसार सूचित कर दें।

<u>विषय संख्या -7</u> : नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर को भूमि आवंटन के संबंध में।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार किसी भी पक्ष को सड़क की भूमि का आवंटन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर का सड़क की भूमि के आवंटन का प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाये।

4

<u>विषय संख्या-8</u> : प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहनों के व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहन को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति शासनादेश सं० 3045/टी/तीस-4-4 जे टी-77 दिनांक 1 जुलाई 1977 के अनुसार दी जाये ।

<u>विषय संख्या-9</u> : श्री भार्गव द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड के प्रीमियम में 50% छूट का आवेदन ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्रश्नगत भूखण्ड के प्रीमियम में 50% छूट के आवेदन को अस्वीकार किया गया ।

<u>विषय संख्या-10</u> : लखनऊ के विभिन्न पार्कों में ओपेन-एयर रेस्तरां के लिये स्पेस (स्थान) का आवन्टन ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : विस्तृत आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

<u>विषय संख्या-11</u> : तीन वर्ष से अधिक दैनिक वेतन पर कार्यरत ड्राफ्टसैन एवं ट्रेसर की रेगुलर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : श्री गोविन्द सिन्हा तथा श्री हसीबुद्दीन को शैक्षिक-योग्यता में छूट देकर अप्रशिक्षित वेतन मान में पहले से सृजित ड्राफ्टसैन के 1 पद तथा ट्रेसर के 1 पद के विरुद्ध तैनाती की जाये ।

<u>विषय संख्या-12</u> : लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भवनों एवं भूखण्डों हेतु "हडको" से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : निम्न तालिका में दिये हुए भवनों तथा भूखण्डों के लिये हडको को ऋण- आवेद पत्र प्रस्तुत किये जायें ।

योजना का नाम	एल०आई०जी० भवनों की सं०	ई०डब्लू०एस० भवनों की सं०	साइट एवं सर्विसेज भूखण्डों की सं०
अलीगंज योजना	200	500	800
कानपुर रोड योजना	200	200	500
मोतीझील योजना	–	448	300

<u>विषय संख्या-13</u> : हाता रसूल खाँ योजना में उत्तर प्रदेश जलनिगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में भूमि छोड़े जाने तथा विस्थापितों के पुर्नवास हेतु विस्तृत गाइड लाइन्स तैयार की जायें । एक उप-समिति जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, श्री एन०एन०लारी, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम होंगे, यह कार्य करेगी और प्राधिकरण के सामने अपनी सिफारिशें रक्खेगी ।

<u>विषय संख्या-14</u> : अलीगंज योजना में लीज़-रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : विषय स्थगित किया गया ।

विषय संख्या-15 : प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविन्दों नियोजकों को पोस्ट ग्रेज्युएट एलाउन्स दिया जाना ।

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं, वास्तुविन्दों, नियोजकों को इन्सेन्टिव के रूप में राज्य सरकार के विभागों की तरह पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स रु० 100/- p.m. दिया जाये ।

विषय संख्या-16 :(1) शहर के मध्य विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित योजना हेतु भूमि का अर्जन ।

विषय संख्या-16:(2) मोती झील आवास योजना

पारित प्रस्ताव : उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल 38.5 एकड़ है, को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है । योजना का नाम "मोती झील आवास योजना " रखा जाये ।

विषय संख्या-16:(3) गोमती आवास योजना

पारित प्रस्ताव : गोमती आवास योजना, जिसका क्षेत्रफल बीघा 123-15-12-15 है की, भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है ।

विषय संख्या-16:(4) सिल्वर जुबिली हेल्थ स्कूल के पीछे खाली पड़े भूखण्ड पर आवासीय योजना ।

पारित प्रस्ताव : मीरतकी मीर रोड के समीप एवं चौधरी गढ़ैय्या की आबादी से मिले भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल बीघा- 12-5-7-1 है को आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-:16(5) ए०पी०सेन रोड स्थित मवैय्या चारबाग योजना के नजूल भूखण्ड संख्या 4 पर आवासीय-योजना ।

पारित प्रस्ताव : ए०पी०सेन रोड स्थिति मवैय्या, चारबाग, क्षेत्रफल 61,200 व०फुट भूखण्ड संख्या 4 के लीज़ राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर आवासीय योजना बनाई जाये । इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के गेस्ट हाउस का भी प्राविधान रखा जाये ।

विषय संख्या-16 :(6) अलीगंज सब्जी मण्डी योजना

पारित प्रस्ताव : अलीगंज सब्जी मण्डी के लिये रेलवे लाइन एवं योजना की एप्रोच रोड के बीच प्रस्तावित क्षेत्रफल 34,062 व०फु० की भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-16:(7) जनपथ मार्केट योजना

पारित प्रस्ताव : जनपथ मार्केट योजना के लिये बहुखण्डी भवन की ऐप्रोच रोड हेतु प्रस्तावित 2,532 वर्ग फुट भूमि के लीज़ राइट्स भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति दी जाती है ।

विषय संख्या-16:(8) कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना

पारित प्रस्ताव : कान्यकुब्ज कालेज के सामने की सड़क एवं स्टेशन रोड के बीच की भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 5-13-9-3 बीघा है को आवासीय-व्यवसायिक योजना हेतु भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-17 हाता रानी साहबा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री खाटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विषय संख्या 13 "हाता रसूल खाँ योजना " के अधीन गठित उप-समिति की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा ।

----क्रमशः 5

<u>विषय संख्या -18</u> — लखनऊ विकास प्राधिकरण के भवनों के किराये की बैंक द्वारा वसूली ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : भवनों का रेन्ट बैंक द्वारा वसूल किये जाने का अनुमोदन किया गया । यह बात साफ की गई कि इससे कोई खर्चा नहीं होगा ।

<u>विषय संख्या : 19</u> — मोतीझील आवास योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भवनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : विषय स्थगित किया गया ।

<u>विषय संख्या- 20</u> — अभियन्त्रण खण्डों के लिये चार जीपों के क्रय एवं उनके लिये ड्राइवरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : चार डीजल जीप क्रय करने की तथा चार ड्राइवरों के पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की जाये । पहले से ही खरीदी जीपों के प्रयोग को रेशनलाइज किया जाये ।

<u>विषय संख्या- 21</u> — प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखों को पूर्ण करना ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : विषय स्थगित किया गया ।

<u>विषय संख्या - 22</u> — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 29 शमन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : विषय स्थगित किया गया ।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय</u> :-

" छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान "

<u>पारित प्रस्ताव</u> :- छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की प्रस्तुत आख्या पर विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ :-

1- एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्ष, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ विधि एवं वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि होंगे, दिनांक 15-4-79 को प्रथम पुरस्कार विजेता से रेट्स के बारे में निगोशियेशन करें तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये रेट्स का तुलनात्मक अध्ययन करके रेट निर्धारण करें ।

2- न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही तुरन्त की जाये ।

ह0 पी0पी0 खन्ना
15-7-79
(पी0पी0 खन्ना)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

एम/आर xxx

मद सँख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 में लिये गये निर्णय-अनुसार कार्यवाही की प्रगति ।

x=x=x=x=x=x

विषय सँख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
1	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 28-4-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	दिनाँक 28-4-79 की बैठक का पुष्टिकरण इस सँशोधन के साथ किया गया कि श्री टन्डन के मामले में निम्न दो बिन्दुओं पर आख्या अगली मीटिंग में प्रस्तुत की जाये जिसके बाद मामले में फैसला किया जायेगा :- क: क्या डा0टन्डन को महापालिका के उस प्रस्ताव, जिसके अनुसार कुछ व्यक्तियों को उनकी भूमि का 25% आवन्टित किया गया है के अनुसार भूमि का आवन्टन किया जा सकता है । ख: ज्ञात किया जाये कि डा0टन्डन के पास कोई भूमि या अपना मकान लखनऊ शहर में है या नहीं तथा डा0टन्डन को भूमि आवन्टन से अर्बन सीलिंग ऐक्ट के प्राविधानों का उल्लघँन तो नहीं होगा ।	अलीगँज योजना के अर्न्तगत किसी भी हितबध्द व्यक्ति को उसकी भूमि का 25% आवन्टित नहीं किया गया है । डा0 टन्डन से इस बात की जानकारी चाही गयी है कि उनके पास कोई भूमि अथवा मकान लखनऊ में है अथवा नहीं । जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त ही यह विषय विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।
3	विभिन्न योजनाओं का प्रगति विवरण	अवलोकनोपरान्त निर्णय हुआ कि भविष्य में बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूध्द क्वाटर्ली प्रगति रिपोर्ट इम्प्रूव्ड प्रोफ़ार्मे में प्रस्तुत की जाये ।	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूध्द त्रैमासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।

क्रमशः:---2

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
4	नेहरू नगर, अम्बेदकर नगर तथा इन्द्रापुरी आदि के विस्थापितों को 600 वर्ग फुट भूमि पर भवन चित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	उपरोक्त स्थल पर निर्मित भवनों को नियमित करने के सम्बन्ध में जो सरकारी लेन प्रस्तावित की गई है उसको क़ायम रक्खा जाये तथा सरकारी लेन पर निर्मित छज्जे को तोड़ दिया जाय । इसके अतिरिक्त आर०वी०ओ०ऐक्ट के प्राविधानों के विपरीत जो निर्माण किये जा चुके है उन्हे शमन-शुल्क लेने के उपरान्त शमन कर दिया जाय । भविष्य में नियमित करने के लिये निर्माण आर०वी०ओ० ऐक्ट के प्राविधानों के अनुसार हो उसके लिये उचित व्यवस्था की जाय ।	निर्णय के अनुसार नेहरू-नगर अम्बेदकर नगर, इन्द्रपुरी स्थान का सर्वे कराया गया है तथा अनाधिकृत रूप से निर्मित कराये गये भवन स्वामियों को अधिनियम की धारा (27) । के अन्तर्गत नोटिस दी जा रही है, शासन को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा लिये गये निर्णय की सूचना पत्र संख्या: 434/एच०ओ०पी०/भवन दिनांक 18-8-79 व्दारा भेजी जा चुकी है ।
	तालकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड स०:4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिर्वतन एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।	प्रश्नगत प्लाट के पास भूखण्ड जिसपर पेट्रौल पम्प वना हुआ है, के वारे में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये कि इसका भू-उपयोग परिर्वतन तथा लीज़ की शर्तों का परिर्वतन किन परिस्थितयों में किया गया । क्या ऐसे कोई और भी प्रेसीडेन्ट्स इसी इलाके के हैं ।	इस विषय पर आख्या वैठक में प्रस्तुत की जायगी ।
6	लखनऊ विकास प्राधिकरण में पारित प्रस्ताव संख्या:1 दिनांक 30-11-78, नजूल सम्वन्धी मामलों पर मनोनीत उप-समिति की एक वैठक जो उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में दिनांक	उप-समिति की सिफ़ारिशों से सहमत प्रकट की गई । नजूल की सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट की स्थित काफ़ी गम्भीर है जिसके वारे में चिन्ता प्रकट की गई, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त आवश्यक	सर्वेक्षण के कार्य के लिये निम्नलिखित स्टाफ़ नियुक्त किया जाना था ।

क्रमश:----3

विषय संख्या	वि ष य	नि र्ण य	कृत कार्यवाही
	6-2-79 को हुई बैठक की कार्यवाही ।	स्टाफ़ की नियुक्ति करके नजूल प्रापर्टी के सर्वे का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें तथा शासन को तद्नुसार सूचित कर दें ।	1- तहसीलदार 1 2- नायब तहसीलदार 2 3- क़ानून गो 2 4- लेखपाल॰अमीन॰ 10 5- लिपिक 2 6- चपरासी 2 7- चेनमैन 10 उक्त क्रमांक 1 से 4 तक पर अंकित स्टाफ़ की नियुक्ति ज़िलाधिकारी या राजस्व परिषद के माध्यम से होनी थी । ज़िलाधिकारी एवं राजस्व परिषद से आवश्यक स्टाफ़ की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया था जिसमें अब-तक केवल एक तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति पर व्यवस्था की गई है । पूर्ण स्टाफ़ की नियुक्ति न होने के कारण यह कार्य अभी भी प्रारम्भ नहीं किया जा सका । नायबतहसीलदार एवं क़ानूनगो की प्रतिनियुक्ति तक यह कार्य तहसीलदार की देखरेख में प्रारम्भ किया जा सकता है । इसके लिये शेष स्टाफ़ जैसे, चेनमैन, लिपिक, चपरासी आदि की दैनिक वेतन पर नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमश:---4

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
7	नवयुग कन्या विद्यालय, राजेन्द्र नगर को भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि इस प्रकार किसी भी पक्ष को सड़क की भूमि का आवन्टन किया जाना उचित नहीं होगा अतः नवयुग कन्या विद्यालय राजेन्द्र नगर का सड़क की भूमि के आवन्टन का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये ।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है ।
8	प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहनों के व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहन को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति शासनादेश संख्या 3045/टी/तीस-4-4 जे वी-77 दिनांक 1 जुलाई 1977 के अनुसार दी जाये ।	नोट किया गया ।
9	श्री भार्गव द्वारा क्रय किये गये भूखाण्ड के प्रीमियम में 50% छूट का आवेदन।	प्रश्नगत भूखाण्ड के प्रीमियम में 50% छूट के आवेदन को अस्वीकार किया गया ।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है ।
10	लखनऊ के विभिन्न पार्कों में ओपेन-एयर रेस्तरां के लिये स्पेस (स्थान) का आवन्टन ।	विस्तृत आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।	निर्देशानुसार आख्या वर्तमान बैठक की कार्यसूची के क्रम संख्या पर प्रस्तुत है ।
11	तीन वर्ष से अधिक दैनिक वेतन पर कार्यरत ड्राफ्टमैन एवं ट्रेसर की रेगुलर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	श्री गोविन्द सिन्हा तथा श्री हसीनुद्दीन को शैक्षिक योग्यता में छूट देकर अप्रशिक्षित वेतनमान में पहले से सृजित ड्राफ्टमैन के 1 पद तथा ट्रेसर के 1 पद के विरुद्ध तैनाती की जाये ।	अनुपालन किया जा चुका है ।

क्रमशः---5

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
12	लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भवनों एवं भूखण्डों हेतु "हडको" से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत की गई प्रस्तावित तालिका में दिये हुए भवनों तथा भूखण्डों के लिये हडको को ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायें ।	अलीगंज योजना के भवन/भूखण्डों से सम्बन्धित हडको को ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया जा चुका है अन्य योजनाओं के बारे में आवेदन पत्र तैयार कराये जा रहे हैं । मुख्य - अभियन्ता स्वयं इस सम्बन्ध में मुख्यालय दिल्ली जाकर विचार-विमर्श कर आये हैं ।
13	हाता रसूल खाँ योजना में उत्तर-प्रदेश जलनिगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।	विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में भूमि छोड़े जाने तथा विस्थापितों के पुर्नवास हेतु विस्तृत गाइड लाइन्स तैयार की जायें । एक उप-समिति जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, श्री एम०ए०लारी, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम होगें, यह कार्य करेगी और प्राधिकरण के सामने अपनी सिफ़ारिशें रक्खेगी ।	उप-समिति की बैठक दिनांक 21-9-79 को हुई । अनुशंसा प्रस्ताव सं०: के नोट में उपलब्ध है ।
14	अलीगंज योजना में लीज़ रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।	विषय स्थगित किया गया ।	विषय पुन: विषय सं०: पृष्ठ सं० : पर प्रस्तुत है ।
15	प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों नियोजकों को पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाना ।	प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं, वास्तुविदों, नियोजकों को इनसेन्टिव के रूप में राज्य सरकार के विभागों की तरह पोस्ट-ग्रजुएट एलाउन्स रू० 100/- दिया जाये ।	अनुपालन कर दिया गया है ।

क्रमश:--6

विषय संख्या.	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
16	शहर के मध्य विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित योजना हेतु भूमि का अर्जन	मोतीझील आवास योजना (क्षे०फ० 38·5 एकड़) / गोमती आवास योजना (क्षे०फ० बीघा-123-15-12-15) / मीर तक़ी मीर रोड के समीप की खाली भूमि पर आवासीय योजना क्षे०फ०12-5-7-1 बीघा) / ए०पी०सेन रोड पर आवासीय योजना (क्षे०फ०61,200 व०फु०) / अलीगंज सब्ज़ीमण्डी योजना (क्षे०फ०34,062 व०फु०) / जनपथ मार्केट योजना (क्षे०फ० 2,532 व०फु०) एवं कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना (क्षे०फ० बीघा- 5-13-9-3) इन सभी योजनाओं के लिये भूमि अर्जन की अनुमति प्रदान की गई ।	मोतीझील आवास योजना/ गोमती-आवास योजना/ मीर तक़ी मीर रोड के समीप की खाली भूमि पर आवासीय योजना/ ए०पी०सेन रोड पर आवासीय योजना/ अलीगंज सब्ज़ी मण्डी योजना/ जनपथ-मार्केट योजना एवं कान्यकुब्ज कालेज के सामने की भूमि पर विकास योजना [illegible] के प्रस्ताव ज़िलाधिकारी को अर्जन कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं ।
17	हाता रानी साहिबा गन्दी-बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री खटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।	विषय संख्या 13 "हाता रसूल खां योजना" के अधीन गठित उप-समिति की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा ।	उप-समिति की बैठक दिनांक 21-9-79 को हुई । अनुशंसा मद् संख्या पृष्ठ- पर प्रस्तुत है ।
18	लखनऊ विकास प्राधिकरण के भवनों के किराये की बैंक द्वारा वसूली ।	भवनों का रेन्ट बैंक द्वारा वसूल किये जाने का अनुमोदन किया गया । यह बात साफ़ की गई कि इससे कोई खर्चा नहीं होगा ।	नोट किया गया । अनुपालन किया जा रहा है ।

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
19	मोतीझील आवास योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भवनों में से 60 का निर्माण कार्य ।	विषय स्थगित किया गया ।	विषय, विषय स0 पृष्ठ स0 द्वारा पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है ।
20	अभियन्त्रण खण्डों के लिये चार जीपों के क्रय एवं उनके लिये ड्राइवरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।	चार डीज़ल जीप क्रय करने की तथा चार ड्राइवरों के पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की जाये । पहले से ही खरीदी जीपों के प्रयोग को रेशनलाइज़ किया जाये ।	मैसर्स महेन्द्रा ऐन्ड महेन्द्रा बाम्बे से चार जीपों के क्रय हेतु आदेश दिये जा चुके हैं । लखनऊ स्थिति ऐजेन्सी मैसर्स नरायन आटो-मोबाइल्स में 8,000/-रूपये जमा करा दिये गये हैं । ड्राइवरों की नियुक्ति की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
21	प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्य निधि के पुराने लेखों को पूर्ण करना।	विषय स्थगित किया गया ।	विषय स0 पृष्ठ स0 द्वारा विषय पुन: प्रस्तुत है ।
22	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 29 शमन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।	विषय स्थगित किया गया ।	विषय स0: पृष्ठ स0: द्वारा विषय पुन: प्रस्तुत है ।

क्रमश:---8

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
अन्य विषय	"छतवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान"	इस विषय में निम्न प्रकार निर्णय हुआ : 1- एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्ष, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम एवं वित्त-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि होगें, दिनांक 15-4-79 को प्रथम पुरस्कार विजेता से रेट्स के बारे में निगोशियेशन करें तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये रेट्स का तुलनात्मक अध्ययन करके रेट्स निर्धारिण करें ।	आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
		2- न्यायालय से प्राप्त स्थागन आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही तुरन्त की जाये ।	स्थागन आदेश निरस्त करा दिया गया है ।

=======::::: 0 :::::======

एम/आर xxx

विषय संख्या: 3 पृष्ठ संख्या: 15

विषय: विकास प्राधिकरण के बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति के विरुद्ध त्रैमासिक प्रगति आख्या ।

x=x=x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की 31 अगस्त 1979 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण बैठक में प्रस्तुत किया जायगा ।

======::::: 0 ::::::=======

M/R ***

विषाय संख्या : 4 पृष्ठ संख्या :

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय : मोतीझील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भावनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

xxxxxxxxxxxx

उक्त कार्य हेतु निविदायें दिनाँक 15-5-79 को आमन्त्रित की गई, निम्नलिखित दो निविदायें प्राप्त हुई :-

§1§ श्री सुरेन्द्र सिँह § 143% उच्च § रू0 11,80,153-05 पैसे

§2§ मेसर्स विजय का0 § 150% उच्च § रू0 12,14,149-20 पैसे

उक्त निविदाओं में से श्री सुरेन्द्र सिँह की निविदा निम्न थी किन्तु दरें अधिक थीं । ठेकेदार ने अपने पत्र दिनाँक 11-6-79 व्दारा अनुमानित धानराशि से 119.95% उच्च पर कार्य करने की सहमति दे दी है । श्री सुरेन्द्र सिँह ने पूर्व में जमा अग्रिम धान को मानने का अनुरोध किया था किन्तु बाद में दिनाँक 30-5-79 को जमा कर दिया है । श्री सुरेन्द्र सिँह की निविदा वर्ष 1972 के शिड्युल से 119.95% उच्च है किन्तु वर्तमान बाज़ार दरों पर तुलनात्मक व्ययानुमान रू0 10,49,455/- से तुलना करने पर 1.79% उच्च रह जाती है । बाज़ार में निरन्तर वृध्दि होती जा रही है । श्री सुरेन्द्र सिँह की निवेदित धानराशि रू010,68,208-50 होती है जो स्वीकृत योग्य है । अध्यक्ष महोदय से विकास प्राधिकरण की स्वीकृत की प्रत्याशा में स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है ।

अत: उक्त कार्य हेतु श्री सुरेन्द्र सिँह की निविदा विकास प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

=====::: 0 :::=====

एम/आर xxx

विषय स0: 5 पृष्ठ स0: 17

विषय: अलीगंज योजना में लीज़ रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x

अलीगंज योजना में भूखण्डों/भवनों के अन्तर्गत भूमि के लीज़ रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में आवन्टन नियमावली में निम्न प्रकार व्यवस्था है :-

" भवन एवं भूमि का सम्पूर्ण मूल्य भुगतान करने के पश्चात् भवन का किराया-क्रय विलेख अपने आप क्रय-विलेख हो जायेगा और भूमि के लिये दूसरा विलेख करना पड़ेगा । सर्व प्रथम भूमि 90 वर्ष के पटटे पर दी जायेगी और पटटे का किराया रू0 100/- प्रति वर्ष प्रति बीघा होगा । प्रत्येक 30 वर्ष बाद पट्टे का नवीनीकरण कराना होगा और प्रत्येक नवीनीकरण की तिथि से पट्टे का किराया बढ़ जायेगा, जो किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होगा "

उपाध्यक्ष महोदय ने अपने आदेश दिनांक 16-4-75 द्वारा लीज़ रेन्ट भूमि के प्रीमियम का 1% निर्धारित किया । इस व्यवस्था के विरोध स्वरूप आवन्टियों ने कई पत्र भेजे, जिसके फलस्वरूप लीज़ रेन्ट से सम्बन्धित मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-7-78 को पेश किया गया था तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

" लीज़ रेन्ट के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि लीज़ रेन्ट में एक नीति निर्धारित कर दी जाये और इसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये । "

यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-9-78 में पुन: पेश किया गया तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

" विषय संख्या: 9 दिनांक 15-7-78, जो अलीगंज योजना में भूमि के लीज़ रेन्ट निर्धारण से सम्बन्ध रखता है, के क्रम में आदेश निर्गत हुआ कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर लीज़ रेन्ट के बारे में सूचना मँगाई जाय ।"

तदनुसार कानपुर तथा ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण से लीज़रेन्ट की जो धनराशि ली जा रही है, उसका विवरण प्राप्त कर लिया गया है जो निम्न प्रकार है :-

<u>कानपुर विकास प्राधिकरण:</u> 10 हज़ार रूपये भूमि के मूल्य पर रू0 5/-वार्षिक तथा इससे अधिक मूल्य पर 10/-रू0 वार्षिक लीज़ रेन्ट ।

<u>ग़ाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण:</u> नगरपालिका सीमा के अन्दर परन्तु शहर में निम्न लीज़ रेन्ट होगा :-

रूपये 5/-	प्रति 100 वर्ग गज़	प्रथम 15 वर्ष हेतु ।
रूपये 10/-	प्रति 100 वर्ग गज़	अगले 15 वर्ष हेतु ।
रूपये 15/-	प्रति 100 वर्ग गज़	30 वर्ष समाप्ति के पश्चात
रू0 20-15 पै0	प्रति वर्ग गज़	60 वर्ष के बाद

अत: उपरोक्त आख्या सहित यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

======::: 0 :::=====

एम/आरx

विषय संख्या : 6 पृष्ठ संख्या: 18

विषय: क: हाता रसूल खाँ योजना में उत्तर प्रदेश जल निगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।

ख: हाता रानी साहिबा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री खाटिक पंचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 में यह निर्णय लिया गया था कि विकास प्राधिकरण व्दारा प्रस्तावित योजनाओं की भूमि छोड़े जाने तथा विस्थापितों को पुर्नवास की व्यवस्था हेतु विस्तृत गाइड लाइन्स तैयार की जायें जिसके लिये विकास प्राधिकरण व्दारा उप-समिति के गठन हेतु भी आदेशित किया गया था जिसके लिये निर्देश दिये गये थे कि वह इस सम्बन्ध में अपनी सिफ़ारिशें प्राधिकरण के सम्मुख रखें ।

तद्नुसार उक्त उप-समिति की बैठक दिनांक 21-9-79 को हो गई है, उप-समिति ने उक्त विषय पर जो निर्णय लिये हैं वे प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं ।

======:::: 0 ::::======

एम/आर xxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79
के प्रस्ताव संख्या 13 के अनुसार गठित उप-समिति के निर्णय

xxxxxxxxxxx

उप-समिति की बैठक दिनांक 21 सितम्बर 1979 को 3-00 बजे उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में हुई । उनके अतिरिक्त उपसमिति के अन्य 2 सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम एवं श्री एम०एल०लारी उपस्थित थे ।

उपसमिति ने निम्नलिखित निर्णय सर्व सम्मति से लिये :-

हाता रसूल खां :

नगर महापालिका के पूर्व प्रस्ताव :जिसके अनुसार सर्व श्री जगत - नरायन सिंह आदि से सम्बन्धित हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को 30,000 वर्ग फीट भूमि अहाता रसूल खां के क्षेत्र में वहां के आधे मूल्य रूपये 3-28 पै० प्रति वर्ग फीट की दर पर देने का निर्णय हुआ था, वर्तमान परिस्थितियों में परिपालन करना अव्यवहारिक समझा गया फिर भी इस विषय में सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि श्री जगत नरायन सिंह और उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों जिनमें सर्वश्री राजनरायन सिंह , तेजनरायन सिंह, हरिनरायन सिंह और श्री नरायन सिंह 5 विस्थापित हैं उन्हे उनके आय वर्ग को देखते हुये 2 निम्न आय वर्गीय लगभग 1250 वर्ग फीट के भूखण्ड, 2 निम्न आय वर्ग के 960 वर्ग फीट के भवन एवं एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग का भवन आवन्टित कर दिया जाय । वहां के शेष विस्थापितों को उनकी आय वर्ग के अनुरूप निम्न आय वर्ग के अथवा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिये निर्मित भवनों का आवन्टन कर दिया जाय ।

उपसमिति ने सर्वश्री डी०पी०दीक्षित एवं के० वी० श्रीवास्तव, छितवापुर क्षेत्र के विस्थापितों के विषय में भी विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि उनकी परिस्थितयों को देखते हुए उन्हे भी प्रत्येक को लगभग 1250 वर्गफीट का भूखण्ड अहाता रसूल खां में आवन्टित किया जाय ।

क्रमश:---

2- अहाता रानी साहिबा :
==================

उपसमिति ने अहाता रानीसाहिबा के विषय में विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 के प्रस्ताव संख्या 17 के तारतम्य में भी विचार किया और खटिक पँचायत के प्राथनापत्र पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि :-

क: अहाता रानी साहिबा की पूरी भूमि प्रस्तावित योजना के अनुसार अर्जित कर ली जाय और वहाँ के विस्थापितों को वहीं पर उनकी आय वर्ग के अनुसार भवनों का निर्माण कर बसाने की व्यवस्था की जाय ।

ख : खटिक पँचायत की प्रार्थना के अनुसार उनकी आवश्यकता एवं आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप एक सामुदायिक भवन का निर्माण सभी आवश्यकताओं के साथ बनाया जाय और उसे खटिक पँचायत को बिना किसी लाभ व बिना किसी हानि के आधार पर मूल्य लेकर बेच दिया जाय ।

3- उपरोक्त समिति ने सभी मलिन बस्ती उन्मूलन सम्बन्धी योजना-ओ में साइट एवं सर्विसिज़ के भूखाण्ड अथवा अधूरे निर्माण के लिये पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया तथा स्पष्ट संस्तुति की कि नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाली योजनाओं में साइट एवं सर्विसिज़ के भूखाण्डों के स्थान पर उसी श्रेणी के भवनों का निर्माण करा दिया जाय ।

=====::: 0 :::=====

एम/आर xxx

विषय: प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने, लेखों को पूर्ण करना ।

x=x=x=x=x=x

प्राधिकरण ने बैठक दिनांक 23-9-78 को प्रस्ताव संख्या:9 व्दारा निर्देश प्रदान किये थे कि कर्मचारियों के भविष्यनिधि के खाते 31-3-79 तक पूर्ण कर दिये जायें । तदनुसार स्थिति निम्न प्रकार है :-

1- लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 13-9-74 को हुई थी । उस समय इन कर्मचारियों के भविष्यनिधि का रखरखाव महापालिका व्दारा सम्पादित किया जाता था । वर्ष 1976-77 में इन लेखों को प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया गया, जिसकी स्थिति 15-9-79 को निम्न प्रकार है :-

कर्मचारियों के 120 खाते 1963 से महापालिका में अपूर्ण थे जिसमें से 21 खातों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया । 99 खाते तैयार किये जा चुके हैं और अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जानी है ।

2- धीमी प्रगति होने का प्रमुख कारण स्टाफ़ की कमी है । जिसके लिये भविष्य निधि एवं पेन्शन का अलग सेल बनाने तथा उसके स्टाफ़ के लिये अनुशंसा उपसमिति के सामने रखी गयी है ।

3- 15.x.79 तक कार्य पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा ।

=====::::: 0 ::::::======

एम/आरxxx

विषय सँख्या : 8

पृष्ठ स0: 22.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष आख्या
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 10-10-77 विषय सँख्या 29 शमन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो-सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

xxxxxxxxxxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 10-10-77 के आइटम सँख्या: 29 पर यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में दो सदस्यीय एक समिति बनाई जाये जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य ग्राम नियोजक, उ0प्र0 सदस्य होगें और प्रस्तावों पर अन्य प्राधिकरणों के व्दारा अपनाये गये शमन शुल्कों को अध्ययन कर प्रस्तावित शमन शुल्क की दरों को अन्तिम रूप देगें ।

अत: उक्त सन्दर्भ में समिति की बैठक दिनाँक 23-12-77 को सायँ हुई जिसमें अन्य प्राधिकरणों व्दारा अपनाये गये शमन शुल्क का अध्ययन किया गया था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश व्दारा प्रस्तावित शमन-शुल्क भी देखे गये । विचार विमर्श के उपरान्त शमन शुल्क की जो दरें प्रस्तावित की गयीं है, वह सँलग्न प्रपत्र पर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

=====:::: 0 ::::=====

एम/आरxxx

SCHEDULE OF COMPOUNDING TO BE CHARGED FOR UN-AUTHORISED CONSTRUCTION.

****

GENERAL:

1. Prescribed Authority can refuse to compound any case of unauthorised construction.
2. The following category of un-authorised constructions shall not be compounded.
3. Any construction not in conforming of the land use proposal contained in the Master plan of Area.
4. On Government of Public Land.
5. On the first floor of construction with in the prescribed side and near set backs which have been compounded earlier.

DEFENITIONS:

Applied: Means applied on the prescribed from to the authority in a prescribed manner, supplying the informations required by the authorised applicant.

Waited : Means to wait for the reply from the office of the prescribed Authority on the application or the reminder after waiting for the prescribed period.

Reminder: Means reminding of the prescribed Authority by written communication selling its attention to the commission or neglect in the desposal of the case within the period under section (3) and(4)of section 7 of the R.B.O.Act.

Builtup Area : Means the area by the Town and Country Planning Department having more than fifty percent constructed area. But those colories which were approved earlier by the competent Authority shall not be included in builtup area.

COMPOUNDING FEES

****

Type of Un-authorised	Category 1	Category 2 Applied but not waited or reminded	Category 3 applied & waited but not reminded	Category 4 Applied waited reminded waited thereafter carriedout the construction.
1	2	3	4	5
A. Construction against by Laws & Regulations				
1.(a). Construction with in the front set back	Ordinary this construction will not be compounded if nessary due to un-avoidable circumstances Rs. 40/-per Sq.ft.of	Ordinarily this construction will not be compounded. If necessary due to un-avoidable circumstances Rs. 40/-per Sq. ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of the land.		

Contd...

	the area con structed with a minimum of Rs. 3000/-plus the cost of the land.			
(b).Cons truction within side set back.	Rs. 25/-per Sq. ft of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.	Rs.25/-per Sq. ft of the ar-ea constructed with a mi-nimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.	Rs.25/-per Sq. ft.of the Area constru-cted with a minimum of Rs. 3000/-plus the cost of land.	Rs. 25/-per Sq.ft.of the area constructed with a mini mum of Rs, 3000/-plus the cost of the land.
(c)Rear Set Back	Rs. 20/-per Sq. ft. of the area construc-ted with a min imum of Rs.3000/- plus the cost of the land.	The fee will be half of the prescribed fee for minilar type of un-au-thorised const-ruction in cate-gory I plus a fine Rs. 500/- for not waiting and reminding the prescribed Authority.	The fee will be half of the prescrib-ed for similar type of unauth orised constr-uction in cate-gory I plus a fine of Rs.300 for not rem-inding the prescribed authority and not waiting for prescribed period.	The fee will be 1/4 of the prescr-ibed fee for a similar type of unauthori sed cons truction in Categ-ory 1.
2.If the plot cov erage is more than the pres cribed coverage.	Rs.20/-per Sq. ft. of the area exceeding the prescribed limits plus cost of land.	-do-	-do-	-do-
3.If the height inside the room is less than the prescri bed hei-ght.	Rs. 16 per Sq. ft.of the area of the room.	-do-	-do-	-do-
4.If the width of the room is less than the prescribed area	Rs.20/-per Sq.ft of the area by which the room is less than prescribed area	-do-	-do-	-do-

Contd...

5. If the width of the room is less than the prescribed.	Rs.20/-per Sq. ft of the area of strip required to bring the width of the room to the prescribed limits.	-do-	-do-	-do-
6. Room does not have minimum ventilated prescribed.	Rs. 5/-per Sq.ft. of the area of the room.	-do-	-do-	-do-
7. Construction according to bye law and regulations but the applicant has not followed clause 15(1)U.P. Urban Planning & Development Act 1973.	A fine of Rs. 1000/- for not applying.	Rs.750/-as Fine	Rs.500/-as Fine	-Nil-
8. Any other deviation not mentioned in the above categories.	Ordinarily such deviation will not be compounded. It necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25 per Sq.ft. with minimum of 3000/- will be charged for such deviation.	ordinarily such deviation will not be compounded if necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25/-per Sq.ft. with a minimum of Rs. 3000/-will be charged for such deviation.	Ordinarily such deviation will not be compounded if necessary due to unavoidable circumstances Rs. 25/- per Sq.ft. with minimum of Rs. 3000/- will be charged for such deviation.	

NOTE:

1. Construction different from approved plans shall be treated as not applied.
2. If unathorised construction falls in more than one type of unauthorised construction ,the compounding fee will be charged separately for every offences.
3. Projection on public and Government land shall not be compounded in any circumstances.

M/R ***

"लखनऊ, विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी"

विषयः लखनऊ के कुछ प्रमुख पार्कों में ओपेन एयर रेस्टोरेण्ट की स्थापना।

विगत एक वर्ष से लखनऊ, विकास प्राधिकरण के कुछ प्रमुख पार्कों में आधुनिक ढंग के "ओपेन एयर रेस्टोरेण्ट" स्थापित करने का विषय विचाराधीन रहा है। इस बात पर निरन्तर बल दिया गया कि विभिन्न रुपरेखा के साथ रेस्टोरेण्ट बनाये जायें तथा ऐसे व्यक्तियों के लिये ही आवण्टन की बात सोची जाये जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतया पालन करें तथा आधुनिक साज-सज्जा से युक्त रेस्टोरेण्ट अपने खर्चे से लखनऊ, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लान तथा दी गई हिदायतों के अनुसार बनायें। यह भी निश्चय किया गया कि इस कार्य के लिये अधिक से अधिक 400 वर्ग फुट का स्थान दिया जाये।

इस उद्देश्य से समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर 10 मई, 1979 तक अन्तिम रुप से इच्छुक व्यक्तियों को अपना प्रस्ताव देने का आह्वान किया गया था। विज्ञापन के फलस्वरुप बहुत से व्यक्तियों ने अपने आफर दिये, परन्तु उन पर अन्तिम निर्णय न लेकर निश्चय किया गया कि इच्छुक व्यक्तियों को पुनः नोटिस देकर टेण्डर देने का मौका दिया जाय। तदनुसार समाचारपत्रों के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित किये गये। निर्धारित तिथि के अन्दर 9 व्यक्तियों ने टेण्डर दिये जिनकी छानबीन करने के बाद स्थिति निम्न प्रकार हैः-

1- ग्लोब पार्कः- अधिकतम आफर रु0 2-10 प्रति वर्गफुट का श्री अश्वनी कुमार का है।

2- पार्क लिम्ब सेण्टर के सामनेः-
अधिकतम आफर रु0 1-25 प्रतिवर्गफुट का श्री बी0के0कपूर का है।

3- शहीद पार्कः- अधिकतम आफर रु0 2.04 प्रतिवर्गफुट का श्री अरुण कुमार का है, इनकी मांग लगभग 100 वर्गफुट की है।

नोटः-

इस पार्क के लिये श्री अरुण कुमार के टेण्डर खुलने के काफी दिन बाद श्री अशोक कुमार ने प्रार्थनापत्र देकर अपना आफर दिया है तथा श्री अरुण कुमार द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो पत्रावली में संलग्न है।

क्रमशः----(2)

4— पतंग वाला मैदान पार्क:— अधिकतम आफर रु0 1.67 प्रति वर्गफुट श्री अशोक कुमार का है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात् इन सभी लाइसेन्सी से विस्तृत एग्रीमेण्ट किया जायेगा। प्रारम्भ मे इजाजत केवल तीन वर्ष के लिये होगी जिसके दो नवीनीकरण का कुछ प्रतिबन्धों के साथ किया जाना प्रस्तावित है। एग्रीमेण्ट में निश्चित रुप से यह प्रतिबन्ध लगाया जायेगा कि यदि रेस्टोरेण्ट (जो अस्थायी निर्मित होगा) आकर्षक ढंग से नहीं बनाया गया तथा आधुनिक साज-सज्जा से सुसज्जित नहीं किया किया गया तो लाइसेन्स कि किसी समय भी 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त टेण्डरों पर अन्तिम निर्णय हेतु विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

के0/पी0
21

विषय संख्या: 10   पृष्ठ संख्या: 28

विषय: कैटिल कालोनी की स्थापना
के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x

कैटिल कालोनी की
स्थापना के सम्बन्ध
में नोट बैठक में
प्रस्तुत किया जायेगा ।

=======:::::: 0 ::::::========

M/R ***

विषय संख्या: 11

विषय : छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में

x=x=x=x=x

उक्त काम्पलेक्स की स्थापना से सम्बन्धित नोट एवं सूचना बैठक में प्रस्तुत की जायगी ।

=======:::::: 0 ::::::=======

M/R ***

विषय संख्या: 12

विषय: नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु "आटो-रिक्शा" की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

x=x=x=x=x

इस विषय से सम्बन्धित

नोट्स एवं अन्य सूचनायें

बैठक में प्रस्तुत की

जायगीं।

=====::::: 0 :::::=====

M/R ***

विषय संख्या : 13 पृष्ठ संख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ
आख्या
=======

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा स्वीकृति रू0 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निक्षेप निधि (Sinking Fund) की स्थापना के सम्बन्ध में ।

आख्या : लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासनादेश सं0 5628/37-1-92 विविध/1976, दिनांक 4-12-76 द्वारा रू0 250 लाख का सीड कैपिटल स्वीकृत हुआ था । शासनादेश की शर्तों के अनुसार ऋण के प्रतिदान में 10 वर्षों की मोहलत (Maritorium) दी गई थी । 10 वर्षों के उपरान्त मूलधन का प्रतिदान 5 समान किश्तों में प्रति वर्ष करना होगा । इस ऋण पर ब्याज 9% वार्षिक की दर से प्रति वर्ष भुगतान करना होता है । इस प्रकार 11 वें वर्ष से रूपये 50 लाख प्रति वर्ष मूल धन हेतु प्रतिदान तथा ब्याज की धनराशि भुगतान करनी होगी जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ेगा । अत: यह निश्चय किया गया कि उपरोक्त ऋण के प्रतिदान हेतु एक निक्षेप निधि की स्थापना की जाये ।

निक्षेप निधि की स्थापना हेतु प्रमुख राष्ट्रीकृत बैंक- स्टेट बैंक आफ़ इन्डिया, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ़ इन्डिया, इन्डियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनारा बैंक, बैंक आफ़ बड़ौदा से प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे । प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्येक बैंक के प्रस्ताव की वित्तीय समीक्षा की गई । इस सम्बन्ध में पिकअप के मुख्य वित्त अधिकारी से भी विचार विमर्श किया गया । इसके पश्चात यूनाइटेड कामर्शियल बैंक जिसका प्रस्ताव उचित एवं प्राधिकरण हित में था, स्वीकृत कर लिया गया तथा माह जुलाई 1979 से प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में निक्षेप निधि का गठन कर लिया गया । संक्षेप में भुगतान की स्थिति निम्नवत् है ।

डिपाज़िट संख्या	भुगतान अवधि (महीनों में)	भुगतान धन मासिक	पूर्ण धन	यील्ड वैल्यु (पुन: विनियोजन उपरान्त)	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6
1	101	33028·28	3335856·28	50,00,000/-	1-12-87
2	113	28060·88	3170879·44	50,00,000/-	1-12-88
3	125	24096·23	3012028·75	50,00,000/-	1-12-89
4	137	20871·01	2859328·37	50,00,000/-	1-12-90
5	149	18205·56	2712628·44	50,00,000/-	1-12-91
		1,24,261·96	15090721·28	2,50,00,000/-	

क्रमश:---2

उपरोक्त पाँचों रिकरिंग डिपाज़िट एकाउन्ट अलग अलग खोले गये हैं । बैंक की शर्तों के अनुसार अन्तिम 3 रिकरिंग डिपाज़िट एकाउन्ट प्रारम्भिक अवधि में 10 वर्षों के लिये होंगे क्योंकि रिज़र्व बैंक आफ़ इन्डिया के नियमों के अनुसार 10 वर्षों के अधिक का रिकरिंग डिपाज़िट एकाउन्ट नहीं खोला जा सकता है । इसके पश्चात अन्तिम तीनों रकिरिंग डिपाज़िट क्रमशः 5 माह, 17 माह तथा 29 माह के लिये वर्तमान शर्तों के अधीन बढ़ा दिया जायेगा जिससे प्राधिकरण को कोई भी वित्तीय हानि नहीं होगी ।

उपराकिंत निक्षेप निधि के लिये बैंक से अलग अलग अनुबन्ध निष्पादित करना होगा/ अनुबन्ध का प्रारूप विकास प्राधिकरण के retainer से vet कराकर बैंक को भेजा गया है । बैंक से अभी तक सहमत प्राप्त नहीं हुई है, चूकिं बैंक ने अनुबन्ध का प्रारूप अपने हेड क्वार्टर अनुमोदन हेतु भेजा हुआ है । उपराकिंत निक्षेप निधि का गठन करने का एक मात्र कारण यह है कि प्राधिकरण पर 11 वें वर्ष अर्थात 1987 से 15 वें वर्ष अर्थात 1991 तक प्रति वर्ष इस भुगतान के कारण अत्यधिक वित्तीय भार न पड़े । दूसरे उपरोक्त अवधि में यदि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो ऋण के प्रतिदान में वितिथ (default) न होगा । जिससे प्राधिकरण की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्राधिकरण अपने राजस्व से प्रति वर्ष उपरोक्त निधि हेतु भुगतान करता रहेगा ।

कृपया प्राधिकरण उपरोक्त का अनुमोदन करने की कृपा करें साथ ही उपाध्यक्ष को अनुबन्ध करने हेतु अधिकृत भी करने का कष्ट करें ।

P/2 ***

विषय संख्या: 14

पृष्ठ स0:

विषय: अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हार्टीकल्चर फार्म का क़ब्ज़ा लिये जाने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना जिसका क्षेत्रफल 923 एकड़ है की भूमि का अर्जन नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है , नगर महापालिका अधिनियम की धारा 357 एवं 363(1) के अन्तर्गत विज्ञप्तियाँ क्रमश: 17 मार्च, 1962 एवं 26 अप्रैल ,1969 को जारी की गयी । तदोपरान्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत दिनांक 18 अप्रैल ,1970 को विज्ञप्ति जारी की गई ।

उपरोक्त विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नोटीफ़ाइड क्षेत्र के अन्तर्गत एक गर्वन्मेन्ट हार्टीकल्चर फ़ार्म, जिसका खसरा न0 16,30 से 54, 65, व 66 (ग्राम तातारपुर) है, आता है ।

लखनऊ नगर महापालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या 183 दिनांक 10-3-1965 द्वारा निम्न निर्णय लिया ।

" तातारपुर गाँव की लगभग 23 एकड़ भूमि को अर्जन करने से मुक्त कर दिया जाय जो गर्वनमेन्ट हार्टीकल्चर विभाग के अधिकार में है क्योंकि इस भूमि में विशिष्ट बीजों का उत्पादन किया जाता है । यह भूमि इस शर्त पर योजना से मुक्त कर दी जाय कि वे इस भूमि का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिये नहीं करेंगें ।"

परन्तु अभी तक उक्त क्षेत्र के डिनोटीफिकेशन की कार्यवाही नहीं की गयी है ।

दिनांक 21 अगस्त, 1979 को सचिव आवास एवं नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन ने योजना के निरीक्षण के समय यह मत व्यक्त किया था कि चूंकि मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय हैं अत: इस जगह पर इतने बड़े फ़ार्म रहने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है इन्हे कहीं अन्यत्र स्थान दे दिया जाय और इस भूमि का क़ब्जा प्राप्त कर लिया जाय ।

उपरोक्त परिस्थितियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के हित में यह होगा कि नगर महापालिका के प्रस्ताव संख्या 183 दिनांक 10-3-65 के भाग एक को निरस्त कर दिया जाय तथा उक्त फार्म का क़ब्ज़ा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय ।

क्रमश:----2

योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन की समस्त कार्यवाही 31 दिसम्बर 1979 तक समाप्त होनी है अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण के हित को ध्यान में रखते हुए निम्न बिन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत है:

1- लखनऊ नगर महापालिका के प्रस्ताव संख्या- 183 दिनांक 10-3-65 के भाग एक, जो 23 एकड़ क्षेत्र के हार्टीकल्चर फार्म को योजना से मुक्त करने के सम्बन्ध में है, को निरस्त कर दिया जाय ।

2- इस क्षेत्र (23 एकड़) भूमि का क़ब्ज़ा अविलम्ब प्राप्त करने की अनुमति दी जाय ।

=====::::: 0 :::::=====.

एम/आर xxx

विषय संख्या : 15 पृष्ट सं0: 35

विषय: जनपथ मार्केट में निर्मित दूकानें हजरतगंज के विस्थापितों को जिस किराये पर दी गई है उन्हीं किराये की दरों को सामान्य व्यक्तियों को आबंटित की गई दूकानों पर भी लागू करने के लिए आवेदन-पत्र

xxxxxxx

जनपथ मार्केट हजरतगंज में ए0बी0सी0टाइप की कुल 104 दूकानें बनाई गई थी। गत वर्ष में ए0बी0 टाइप की दूकानों के प्रीमियम का सार्वजनिक नीलाम किया गया था जिसके साथ यह शर्त थी कि किराये की दर रू0 5/- प्रति वर्ग फुट प्रतिमास होगी। नीलामी एवं आफर के आधार पर कुल 24 दूकानें आबन्टित की गई। इन दूकानों का प्रीमियम रू0 20,100 से 28,000 के मध्य प्राप्त हुआ। इसमें से 7 दूकाने गांधी आश्रम संस्था की हैं जिन्होंने आबन्टन निरस्त किये जाने का आवेदनपत्र दिया है। अन्य 17 आबन्टियों ने भी प्रीमियम जमा किया है।

इस व्यवसायिक केन्द्र की 85 दूकानें हजरतगंज के विस्थापितों को बिना किसी प्रीमियम के आवन्टित की गई है, विस्थापितों के साथ उनके बारम्बार अनुरोध करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उनको आवन्टित दूकानों का किराया रू03/-प्रति वर्ग फुट प्रतिमास निर्धारित किया है।

प्रीमियम जमा करने वाले अन्य आवन्टियों ने सामूहिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी दूकानों का भी एग्रीमेन्ट संशोधित करके किराया रू05/-के बजाय रू0 3/-प्रति वर्ग फुट कर दिया जाये। उक्त दूकानों का 5/- प्रति वर्ग फुट की दर से मौजूदा किराया 25,640/- प्रति माह है जबकि इन दूकानदारों द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार प्रतिमास किराया रू0 15,384/- रह जायेगा।

अस्तु उक्त प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

प्रदीप/-

xxxxxxxx

विषय संख्या: 16 पृष्ठ स0:

विषय: चेतना मन्छित मस्तिष्क वाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि ।

=x=x=x=x=x=

श्रीमती एस0डंगल , चेतना सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हैं, ने अलीगंज मार्ग एवं नगरप्रसार योजना में उक्त विद्यालय हेतु एक एकड़ भूमि की माँग की है । अलीगंज योजना में स्कूलों के लिये 5.95 एकड़ भूमि छोड़ी गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

सेक्टरी	क्षेत्रफल	दर
ए	1.25 एकड़	
वी	.54 एकड़	
सी	1.36 एकड़	
डी	1.69 एकड़	
के	1.11 एकड़	

विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25-7-75 के प्रस्ताव स0:7 में निम्नलिखित निर्णय लिया था :-

" निजी शैक्षिक संस्थान, निजी नि:शुल्क चिकित्सालय तथा समाज कल्याण संस्थाओं को विकास प्राधिकरण की भूमि रियायती दर पर दिये जाने के सम्बन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण की निर्धारित नीति के साथ विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि निजी शैक्षिक, चैकित्सिक एवं समाज कल्याण सम्बन्धी संस्थाओं तथा साँस्कृतिक एवं दानोत्तर संस्थाओं को भूमि माँगे जाने पर भूमि की बाज़ार दरों में 50 प्रतिशत की सीमा तक छूट दी जाय । ऐसी संस्थाओं को भूमि का आवन्टन प्राधिकरण स्वयं करेगें । "

तथा इसी के तारतम्य में विकास प्राधिकरण ने विषय स0:6 द्वारा दिनांक 10-10-77 की विकास प्राधिकरण की बैठक में निम्न निर्णय लिया :-

" प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25-7-75 के प्रस्तर संख्या-7 के अनुसार दातव्य संस्थाओं को भूखण्डों के प्रीमियम में जो 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट जानने की आवश्यकता समझी गई कि दातव्य संस्थाओं की परिभाषा में कौन कौन सी संस्थायें आ सकती हैं ? निर्णय किया गया कि इस प्रयोजनार्थ दातव्य संस्थायें वे ही मानी जायें जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर विभाग द्वारा आयकर से छूट देने के लिये दातव्य संस्थायें मानी गई हैं । तदनुसार दातव्य संस्थाओं हेतु मापदण्ड (CRITERIA) बनाया जाय और अगली बैठक में स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

क्रमश:----

निराला शिक्षा सेवा संस्थान से पूछा जाय कि वे अपनी संस्था के-

(क) प्राप्तियाँ व देयक बतायें ताकि यह निश्चित हो सके कि उनकी क्षमता प्रस्तावित कार्य की है अथवा नहीं ?

(ख) कि वे किन आधारों पर अपने को दातव्य संस्था होने का दावा करते हैं ।

अत: उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में श्रीमती एस0कमल जनरल सेक्रेटरी, चेतना सोसाइटी का प्रार्थनापत्र निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

======::::::: 0 ::::::::=======

एम/आर xxxx

विषय स0: 17 पृष्ठ स0: 361

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आख्या

विषय: विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा-भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सारांश: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के कर्मचारियों को आदेश स0: 3654/प्रशा0 1-743 दिनांक 12-7-78 में दी गई सुविधाओं की भांति ही लखनऊ, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी आदेश स020/सचिव, दिनांक 3-8-78 द्वारा दिनांक 1-8-78 से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न) । यह सुविधा उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ में 1/6/78 से लागू की गई थी ।

उक्त आदेश में मूल वेतन रू0 400/- प्रतिमास तक पाने वाले कर्मचारियों को रू0 15/- प्रतिमास का चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया गया था । परन्तु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा कार्यालय आदेश स0: 4324/प्रशा0एक-743 के 27-7-78 द्वारा पूर्व कार्यालय आदेश स0 3613/प्रशा0-1-743 दिनांक 2-7-78 का आंशिक संशोधन करते हुए रू0 600/- तक वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को रू0 20/- प्रतिमास की दर से चिकित्सा भत्ता देना स्वीकार किया था । तदनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मांग के अनुसार यहां के कर्मचारियों को भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को दिये गये चिकित्सा भत्ता के अनुसार रू0 600/- तक पाने वाले सभी कर्मचारियों को भी भुगतान कर दिया गया है । अत: इस सुविधा को दिये जाने हेतु कार्योत्तर (Ex-Post- Facto) स्वीकृति वांछित है ।

-:-:-:-:-:-

M/R ***

39

कार्यालय उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6, जगदीशचन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ ।

कार्यालय आदेश

संख्या-20/सचिव

दिनांक: अगस्त 3, 1978

अब तक जारी किये गये चिकित्सा भत्ता सम्बन्धी समस्त आदेशों का अतिक्रमण करते हुये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या- 3654/प्रशा0-एक-743 दिनांक 12-7-78 में दी गई सुविधाओं की भाँति ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न प्रकार से मासिक चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

वर्गीकरण		देय धनराशि
॥1॥ मूल वेतन		रुपये
रु0 400/- तक	-	15/- प्रतिमाह
रु0 401/- से 600/- तक	-	20/- प्रतिमाह
रु0 601/- से 1000/- तक	-	25/- प्रतिमाह
रु0 1001/- से 2000/- तक	-	30/- प्रतिमाह
रु0 2000/- से अधिक	-	35/- प्रतिमाह ।

॥2॥ उपरोक्त मासिक चिकित्सा भत्ते के अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में भी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सक्षम अधिकारी के आदेशान्तर्गत की जायगी ।

अ- ऐसी बीमारी जिसमें कम से कम सात दिन तक सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े ।

ब- दुर्घटनाग्रस्त होने पर जिसमें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पड़े ।

स- शल्य चिकित्सा जिसमें कम से कम सात दिन तक सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़े ।

द- ऐसी क्रानिक बीमारियाँ जैसे टी0बी0, कैन्सर, हृदय रोग, मधुमेह, शल्य आदि जिसमें इलाज लम्बे अरसे तक चलने वाला हो अथवा विशेषज्ञ द्वारा इलाज करवाने की आवश्यकता हो । इसकी पूर्व अनुमति/स्वीकृति उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी । टी0बी0 से पीड़ित कर्मचारी रोगमुक्त होने तथा स्वास्थ्य लाभ की अवधि ॥Convalescence॥ के लिये भी उक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी ।

॥3॥ मेडिकल कालेज एवं अन्य अस्पतालों में कराई गई चिकित्सा के लिये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तभी की जायगी जब राजकीय अस्पताल द्वारा केस रेफर किया गया हो ।

क्रमशः - - -2.

40

(4) उपरोक्त सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों को भी उपलब्ध रहेगी जो उन पर पूर्ण रूप से आश्रित हों । परिवार की परिभाषा में केवल पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चे ही माने जायेंगे । अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माता-पिता यदि उन पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं तो उन्हें भी उक्त सुविधा देय होगी ।

(5) उपरोक्त सुविधा प्राधिकरण के पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध रहेगी जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

(6) उपरोक्त चिकित्सा व्यय के आवेदन के साथ सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी को संलग्न रूप पत्र पर एक घोषणापत्र भी प्रतिपूर्ति हेतु देना होगी ।

अधिकृत चिकित्सक (Authorised Medical Attendant) से तात्पर्य उस अस्पताल के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज से होगा जहाँ चिकित्सा के लिये भर्ती होना पड़े ।

यह आदेश दिनांक 1-8-78 से लागू होंगे ।

ह0/- इन्दु प्रकाश ऐरन
(इन्दु प्रकाश ऐरन)
उपाध्यक्ष

दा0/क्रमशः/-

विषय

विषय संख्या : 18 पृष्ठ संख्या :

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष आख्या
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

विषय: अतिरिक्त मँहगाई भत्ता स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये ।

आख्या : उपरोक्त विषयक शासनादेश स० 5438 टी/9-1-79-93 सा/78, दिनांक 30 जूलाई 1979 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार प्राधिकरण के कर्मचारियों को संशोधित दर से अतिरिक्त महँगाई भत्ता दिनांक 1-12-78 से देय है, जिसकी स्वीकृति प्राधिकरण से अपेक्षित है । अतएव शासनादेश के कार्यान्वयन (अगस्त में किये गये भुगतान सहित) हेतु आदेश प्रदान किये जाएँ । इस महगाँई भत्ते का दिसम्बर 78 से मई 79 तक का धन सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि में जमा होना है तथा माह जून व जूलाई 79 का नक़द भुगतान होगा ।

-:-:-:-:-:-

एम/आर xxx

प्रतिलिपि- पत्र संख्या -5438 टी/9-1-79-93 सा/78, लखनऊ दिनांक 30 जूलाई 1979 ।

प्रेषक: राधेश्याम रस्तोगी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, स्वायत्त शासन अनुभाग-1

सेवा में: निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0, 7-आर, बटलर रोड लखनऊ ।

विषय: अतिरिक्त मँहगाई भत्ता स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये ।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -4485टी/9-1-78-93 सा/78, दिनांक 15 जून, 1978 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये जो 1030 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाते हैं, उक्त शासनादेश दिनांक 15 जून, 1978 में स्वीकृत अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की दरों को दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से निम्न प्रकार संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की है:-

वेतन वर्ग	अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की दिनांक 1 दिसम्बर 1978 से संशोधित मासिक दरें ।
1- 300 रुपये तक	वेतन का 17-5 प्रतिशत परन्तु कम से कम 30 रुपये और अधिक से अधिक 50 रुपये तथा वेतन का 8 प्रतिशत ।
2- 300 रुपये से ऊपर और 400 रुपये से तक	62 रुपये तथा वेतन का 4 प्रतिशत
3- 400 रुपये से ऊपर और 800 रुपये तक	वेतन का 18-5 प्रतिशत किन्तु कम से कम वेतन का 15-5 प्रतिशत तथा 16 रुपये और अधिक से अधिक 148 रुपये ।
4- 800 रुपये से ऊपर और 900 रुपये तक	100 रुपये तथा वेतन का 6 प्रतिशत
5- 900 रुपये से ऊपर और 1000 रुपये तक	127 रुपये तथा वेतन का 3 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 157 रुपये ।
6- 1000 रुपये से ऊपर और 1030 रुपये तक	1157 रुपये से वेतन जितना कम पड़ता हो उतनी रकम ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि 1030 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्म चारियों को शासनादेश संख्या - 7206 टी/9-1-11सा/73 दिनांक 21 नवम्बर, 1973 तथा शासनादेश संख्या- 3326 टी/9-1-77 सा/73, दिनांक 10 मार्च, 1977 में स्वीकृत मँहगाई भत्ता/अतिरिक्त मँहगाई भत्ता पूर्ववत मिलता रहेगा किन्तु 1030 रुपये प्रतिमाह से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में शासनादेश दिनांक 15 जून, 1978 के अनुसार देय अतिरिक्त मँहगाई भत्ते को दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से निम्न प्रकार विनियमित करने की भी स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने प्रदान की है किन्तु उन्हे उक्त शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 1973 में स्वीकृत मँहगाई भत्ता पूर्ववत मिलता रहेगा :-

वेतन वर्ग	अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की दिनांक 1 दिसम्बर 1978 से दरें ।
1031- 2450 रुपये	370 रुपये किन्तु इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए कि वेतन, शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 1973 द्वारा स्वीकृत मँहगाई भत्ते का योग 2750 रुपये से अधिक न हो।

क्रमश:---2

3- अतिरिक्त मँहगाई भत्ते के कारण की जाने वाली अदायगी निकटतम 10 पैसे तक पूर्णांकित की जायेगी । उक्त प्रस्तर 1 व 2 में संशोधित अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की दरों से विदित है कि इन आदेशों द्वारा शासनादेश संख्या- 4485 टी/9-1-78-93 सा/78 दिनांक 15 जून, 1978 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की 15वीं किश्त जो 2250 रूपये तक वेतन पाने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को देय थी, की दरों में कुछ संशोधन किया गया है, साथ ही 16वीं किश्त नये सिरे से शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है, साथ ही रूपये 2250 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का भी उपरोक्त आदेशानुसार अतिरिक्त मँहगाई भत्ता दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से अनुमन्य होगा ।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर 1 व 2 में स्वीकृत अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की वह बढ़ी हुई धनराशि जो शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को 1 दिसम्बर, 1978 से 31 मई, 1979 की अवधि के लिये देय होती है, सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्यनिधि खाते अभी नहीं खुले हैं या किन्ही कारणों से खोले नहीं जा सकते हैं, उनके सम्बन्ध में, उक्त अवधि की भविष्य निधि खाते में जमा होने वाले धनराशि का भुगतान नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट के रूप में दिया जायेगा, परन्तु जिस धनराशि का सार्टीफिकेट नहीं मिल सकता है, वह सम्बन्धित कर्मचारी को नकद दी जायेगी । माह जून, 1979 जिसका भुगतान जुलाई, 1979 में देय होता है, से प्रत्येक माह नकद भुगतान किया जायेगा ।

5- यह आदेश स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेजों तथा डिग्री कालेजों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

6- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की धनराशि पर भी शासनादेश संख्या - 134 टी/9-1-30 सा/73 दिनांक 16 जनवरी , 1974 द्वारा स्वीकृत शासकीय सहायता (ऋण को छोड़कर) उक्त शासनादेश में उल्लिखित स्थितियों और शर्तों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को दय होगी ।

7- विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी अतिरिक्त मँहगाई भत्ते की धनराशि इस शासनादेश के अनुसार देय होगी । किन्तु विकास प्राधिकरण अतिरिक्त मँहगाई का भुगतान स्वयं अपने साधनों से करेंगे । उन्हे किसी प्रकार का ऋण, अंशदान अथवा शासकीय सहायता देय न होगी । इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

8- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनके अशासकीय पत्र संख्या -ई-6/2329/दस-79, दिनांक 30 जुलाई 1979 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

ह0 राधेश्याम रस्तोगी
उप-सचिव

संख्या- 5438 टी(1)/9-1-79, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(8) समस्त विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ।

आज्ञा से,

ह0 राधे श्याम रस्तोगी
उप-सचिव

एम/आर xxx

विषय संख्या : 19 पृष्ठ स0:

विषय : प्राधिकरण के कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

x x x x x x x x

विकास प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा ने दिनांक 7-8-79 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शासन के अधीन इन्जीनियरिंग विभागों के सहायक अभियन्ताओं को, जो इन्वेस्टीगेशन तथा प्लानिंग के कार्य पर लगे हुए हैं, सामान्य रूप से वित्तीय नियमावली खण्ड-2-4 के मूल नियम 19 के साथ पठित मूल नियम 9(25)(ए) के अन्तर्गत रू0 50/- (रू0 पच्चास) प्रतिमास की दर से विशेष वेतन दिया जाता है । इसी की भांतिं उन्हे भी स्वीकार किया जाय क्योंकि वे विकास प्राधिकरण में इसी प्रकार का कार्य करते हैं ।

2- शासन की इस सम्बन्ध में जो स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से नीति लागू है उसका पूर्ण विवरण संलग्न शासनादेश स0 5434/9-3-54 सी/63 दि0 30 अप्रैल , 1974 तथा सा0 2752/9-3-454 सी/63 दि0 जून दिया हुआ है ।

3- श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, सहायक अभियन्ता इस प्राधिकरण में भूमि अर्जन से सम्बन्धित सभी कार्य जिसमें सर्वे तथा स्कीम बनाने का कार्य भी सम्मिलित है, करते हैं । अत: प्रस्तावित है कि इस कार्य के लिये जो विशेष रूप से कठिन एवं जिम्मेदारी का है, उपरोक्त शासनादेश की भांतिं ही श्री एल0के0मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह नवम्बर 1978 से विशेष वेतन दिया जाय ।

=====:::: 0 ::::======

एम/आर xxx

उत्तर प्रदेश शासन.

स्वायत्त शासन अनुभाग-3

संख्या 5434/9-3-454सी/63

लखनऊ दिनांक 30अप्रैल.1974

कार्यालय ज्ञाप

-----00-----

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2752/9-3-454सी/63 दिनांक 29 जून.1972 के पैरा 1 का आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग की चतुर्थ प्रकल्प शाखा, लखनऊ पंचम प्रकल्प शाखा लखनऊ , नगर महापालिका प्रकल्प शाखा ,लखनऊ प्रथम प्रकल्प शाखा, आगरा और द्वितीय प्रकल्प शाखा, आगरा के अधिशासी अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं को उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित विशेष वेतन उक्त शाखाओं के सृजन की तिथियों से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है ।

यह आदेश वित्त विभाग को अशासकीय संख्या जी॥1॥/590/10-1974 दिनांक अप्रैल 22, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

ह0/ विवेक नारायण चन्ना
उप सचिव.

सेवामें.

मुख्य अभियन्ता.
स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग.
उत्तर प्रदेश,
ल ख न ऊ ।

संख्या - 5434॥1॥/9-3-454-सी/63

1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।

2- प्रशासक ,नगर महापालिका,लखनऊ ।

3- प्रशासक, नगर महापालिका,आगरा ।

4- वित्त॥ सामान्य-1॥ अनुभाग ।

5- वित्त ॥ व्यय नियंत्रण -3॥ अनुभाग, ।

आज्ञासे.

विवेक नारायण चन्ना.

उत्तर प्रदेश, शासन.
स्वायत्त शासन अनुभाग-3
संख्या 2752/9-3-454-सी/63
दिनांक :लखनऊ ,जून 1972

कार्यालय ज्ञाप
-----00-----

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-2 भाग 2 के मूल नियम 9[25] के साथ पठित मूल नियम 19 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय स्वायत्त शासन अभि0विभागके अन्तर्गतचतुर्थ प्रकल्प शाखा, लखनऊ पंचम प्रकल्प शाखा ,लखनऊ नगर महापालिका प्रकल्प शाखा, लखनऊ प्रथम प्रकल्प शाखा,आगरा और द्वितीय प्रकल्प शाखा आगरा के अधिशासी अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं को जो बड़ी बड़ी जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण योजनाओं के डिजाइन एवं प्रोजेक्ट बनाने के विशेष कार्य पर लगे है इस आदेश के जारी होने की तिथि से निम्न लिखित दरों पर विशेष वेतन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- अधिशासी अभियन्ता -100 रुपये प्रतिमाह

2- सहायक अभियन्ता - 50 रुपये प्रतिमाह

2- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उपरोक्त प्रकल्प शाखाओं में नियुक्तियो हेतु अधिशासी अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं का चयन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा :-

1- सचिव स्वायत्त शासन ।

2- मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उ0 प्र0 ।

3- उपरोक्त मद पर होने वाला व्यय आय व्ययक के लेखा शीर्षक स्वायत्त शासन अभियन्त्रण अधिष्ठान -3 भत्ते और मानदेय अन्य भत्ते के नामें डाला जायेगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह व्यय वर्तमान बजट प्राविधान से पूरा किया जायेगा ।

4- लखनऊ नगर महापालिका प्रकल्प शाखा, लखनऊ और प्रथम प्रकल्पशाखा आगरा व द्वितीय प्रकल्प शाखा, आगरा के अधिशासी अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं को दिये जाने वाले उपरोक्त विशेष वेतनों का कुल व्यय संबंधित नगर महापालिकाओं से मास वसूल कर लिया जायेगा जिसे वसूल होने पर व्यय में कमी के रूप में आय के लेखा शीर्षक : 30-सार्वजनिक स्वास्थ्य आयोजेनतर -4 उन वसूलियों केव्योरे जिन्हे लेखों में व्यय में घटा दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिष्ठान अधिष्ठान का स्वा0शा0 अभि0इन्जीनियरिंग अधिष्ठान अभियन्त्रण संबंधी सेवाओं के संबंध में फीस की वसूलियां के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-3/1737/दस जून 1972 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

ह0/ श्याम चरण खन्ना
उप सचिव.

मुख्य अभियन्ता.
स्वायत्त शासन,अभियन्त्रण विभाग.
उत्तर प्रदेश ,शासन ।

2752(1)/9-3-454-सी/63

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2- मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ ।

3- मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, आगरा ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1।

5- वित्त (व्यय-नि-3) अनुभाग ।

आज्ञा से,

श्यामा चरण खन्ना
उप सचिव.

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ ।

संख्या 7868/अ-1/प्रकल्प भत्ता (राजपत्रित) दिनांक 1/7/72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अधीक्षण अभियन्ता षष्टम मंडल, स्वा0 शा0अभि0वि0लखनऊ ।

2- अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम मंडल, स्वा0शा0 अभि0वि0 , लखनऊ ।

3- अधीक्षण अभियन्ता, दशम मंडल, स्वा0शा0अभि0वि0, आगरा ।

4- अधिशासी अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/ नगर महा - पालिका प्रकल्प शाखा, स्वा0शा0अभि0 वि0 आगरा, आगरा लखनऊ /लखनऊ 2 लखनऊ /लखनऊ ।

ह0/ बाल कृष्ण गुप्ता.
कृते मुख्य अभियन्ता.
स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग.
उ0 प्र0 लखनऊ ।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79

विषय स0	विषय	पृष्ठ स0
विषय स0:3	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुध्द प्रगति आख्या ।	1
विषय स0:10	कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।	8
विषय स0:11	छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।	11
विषय स0:12	नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु "आटो-रिक्शा" की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।	18

-:0:-

एम/आर

योजनाओं का प्रगति विवरण 31-8-79 तक
(वित्तीय)

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	भूमि अर्जन: बजट प्राविधान	भूमि अर्जन: उपलब्धि	भूमि अर्जन: प्रतिशत	भूमि विकास: बजट प्राविधान	भूमि विकास: लक्ष्य 31-8-79	भूमि विकास: उपलब्धि	भूमि विकास: बजट का प्रतिशत	भूमि विकास: 31-8-79 तक के लक्ष्य का प्रतिशत	भवन निर्माण: बजट प्राविधान	भवन निर्माण: लक्ष्य 31-8-79	भवन निर्माण: उपलब्धि	भवन निर्माण: बजट का प्रतिशत	भवन निर्माण: 31-8-79 तक के लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	कानपुर रोड योजना	120x	–	–	66	10	10.68	16,66	106.8	33.50	2.0	1.00	3.00	50
2-	अलीगंज योजना	60	–	–	122	25	38.41	31.50	153.6	167.55	35.00	45.33	27.00	130
3-	अन्य योजनायें	20	–	–	120	3	4.49	37.45	149.00	15.00	3.00	–	–	––
4-	नैपियर रोड भाग-3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5-	मोतीझील योजना	–	–	–	10.50	2	1.00	9.5	50.00	37.00	9.00	13.61	36.78	151
6-	विकास की पुरानी योजनायें	–	–	–	26.71	3	4.49	16.81	149.00	–	–	–		–
7-	कामर्शियल काम्पलेक्स :													
	1- पुराना डाकखाना	–	–	–	–	–	–	–	–	10.00	2.00	3.21	32.1	161
	2- नक्खास xx	–	–	–	–	–	–	–	–	2.00	0.5	–	–	–
	3- आर०टी०ओ०काम्पलेक्स xxx	–	–	–	–	–	–	–	–	20.00	4.0	–	–	–
	4- छितवापुर xxxx	–	–	–	–	–	–	–	–	20.00	4.0	–	–	–
	5- सिण्डर्स डम्प	–	–	–	–	–	–	–	–	5.00	1.0	1.64	33.00	164
	6- अलीगंज योजना xxxxx	–	–	–	–	–	–	–	–	15.00	3.0	–	–	–
	7- अन्य योजनायें xxxxxx	–	–	–	–	–	–	–	–	8.00	2.0	–	–	–
8-	मलिन बस्ती सुधार योजना	–	–	–	19.12	4	3.21	16.79	80.00	–	–	–	–	–
9-	मलिन बस्ती निपातन योजना	–	–	–	16.27	3	0.75	4.6	25.00	–	–	–	–	–
	योग :	220	–	–	272.6	50	63.03	23.12	126.00	333.05	65.5	65.79	19.75	100.44

x भूमि अर्जन पर व्यय दिसम्बर, 1979 के बाद किया जायगा क्योंकि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास 232 लाख धनराशि अवितरित अभी भी पड़ी हुई है।

xx पूर्व निर्मित दुकाने अभी नहीं उठी हैं इसलिये और दुकानों का निर्माण अभी नहीं किया जा रहा है।

xxx अभी अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

xxxx विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है।

xxxxx आगणन बनाया जा रहा है।

xxxxxx 17 कियास्क बन गये हैं। अन्य के लिये स्थान मिलने पर निर्माण कराया जायेगा।

दीक्षित/-

- : 0 : -

मासिक लक्ष्य उपलब्धि विवरण 1979-80

बजट लक्ष्य : 829.94 लाख (निर्माण कार्य)

माह	लक्ष्य रु० लाखों में	लक्ष्य प्रतिशत	उपलब्धि रु० लाखों में	उपलब्धि प्रतिशत	प्रोग्रेसिव उपलब्धि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	8.30	1%	32.53	391.93%	-	
मई	16.61	2%	17.59	105.90	201.2%	
जून	24.89	3%	21.26	85.42	143.3%	
जुलाई	33.20	4%	27.65	83.28	119.3%	
अगस्त	41.49	5%	28.72	69.39	100.3%	
सितम्बर	41.49	5%	-	-	-	
अक्टूबर	83.00	10%	-	-	-	
नवम्बर	124.49	15%	-	-	-	
दिसम्बर	124.49	15%	-	-	-	
जनवरी	124.49	15%	-	-	-	
फरवरी	124.49	15%	-	-	-	
मार्च	83.00	10%	-	-	-	
योग :	825.65	100%	127.82			

-: प्रगति विवरण :-

गत वर्ष के आवासीय अवशेष कार्यों की प्रगति :

क्रम सं०	योजना का नाम	खण्ड	भवनों का प्रकार	संख्या	1-4-79 को प्रगति प्रतिशत	1-4-79 से 31-8-79 तक प्रगति-प्रतिशत	अद्यावधि प्रगति	अवशेष प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	कानपुर रोड योजना	प्रथम	निल						
2-	अलीगंज योजना	द्वितीय	एच०आई०जी०	80	52.25	18.75	71.00	29.00	
			एल०आई०जी०	120	6.13	32.23	38.36	61.64	
			ई०डब्ल्यू०एस०	400	56.00	-	56.00	44.00	
3-	विभिन्न योजनायें एवं अहाता आदि	तृतीय	निल						
4-	अलीगंज योजना	चतुर्थ	एम०आई०जी०	25	80.00	20	100	निल	अन्तिम भुगतान हो चुका है।
			एम०आई०जी० (दो म०)	48	40	10	50	50	उपरोक्तानुसार।
			एल०आई०जी०	25	92	निल	92	8	उपरोक्तानुसार।
			ई०डब्ल्यू०एस०	48	85	15	100	निल	अन्तिम बिल बन रहा है।
5-	मोतीझील आवास योजना	पंचम	एल०आई०जी०	120	46	48	94	6	भवनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दीक्षित/-

विकास कार्यों की प्रगति : दिनांक 1-4-79 को जिन पर कार्य हो रहा था/स्वीकृत थे ।

क्रम सं0	योजना का नाम	सेक्टर	भूखण्डों की संख्या	प्रगति प्रतिशत 1-4-79 को	1-4-79 से 31-8-79 तक	अद्यावधि प्रतिशत	अवशेष प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना	वाई	553	39	16	55	45	-
		ई	900	--	21	21	79	ठेकेदार से अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है ।
2-	अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना	डी	415	70	10	80	20	बिजली की लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा कुछ पार्कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
		एफ	122	--	17.85	17.85	82.15	सभी विकास कार्य प्रगति पर हैं ।
		जी	484	80	2	82	18	विकास कार्य प्रगति पर है ।
		एच	635	90	5	95	5	कुछ सड़को की प्रीमिक्सिंग शेष है ।
		आई	442	70	10	80	20	के0सी0ड्रेन, कुछ सड़को एवं पार्क का निर्माण कार्य शेष है ।
		जे	708	80	5	85	15	के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
		के	321	50	20	70	30	बिजली, पानी की लाइन व के0सी0ड्रेन के कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है
3-	अलीगंज योजना (प्रथम चरण)	ए	80	70	20	90	10	इस सेक्टर में अवशेष सड़को एवं पार्क का निर्माण प्रगति पर है ।
		बी	825	70	15	85	15	इस सेक्टर में कुछ अपूर्ण आन्तरिक सड़को का कार्य प्रगति पर है ।
		सी	769	70	10	80	20	इस सेक्टर में कुछ अपूर्ण आन्तरिक सड़को, पार्कों एवं सीवर का कार्य प्रगति पर है ।।
		सी/एस	99	40	5	45	55	इस सेक्टर में नाली सीवर के कार्य अवशेष हैं ।
		ई	222	75	15	90	10	कुछ पार्क एवं अपूर्ण सड़को का कार्य शेष है ।
		जी, एच0आई, जे तथा के का कार्य	-	-	-	-	100	ब्रान्च सीवर डालना शेष है ।

क्रमशः - - - 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-	अलीगंज योजना (द्वितीय चरण)	एल	ले-आउटप्लान अपूर्ण	निल	50	50	50	इनके अन्तर्गत मुख्य मार्गों का निर्माण कार्य जो प्रस्तावित है, प्रगति पर है।
		एन	उपरोक्त	निल	20	20	80	इस सेक्टर के अन्तर्गत विकास कार्य प्रगति पर है।
		एएम	उपरोक्त	निल	40	40	60	उपरोक्तानुसार।
5-	अलीगंज योजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) ट्रंक सीवर	-	-	-	-	-	100	इनका प्रारूप बन चुका है, अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।
6-	मोतीझील आवास योजना	-	910	[illegible]	44	20	72	टेण्डर स्वीकृत हो चुके हैं।

दीक्षित/-

-: दिनांक 31-8-79 तक प्रगति :-

आवासीय (हाउसिंग)

क्रम संख्या	योजना का नाम	खण्ड तथा अधिशासी अभियन्ता का नाम	भवन का प्रकार	लक्ष्य भौतिक	लक्ष्य वित्तीय	31-8-79 तक प्रारम्भ किये गये भवनों की संख्या	31-8-79 तक व्यय	अवशेष भवन	टिप्पणी
1-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना	प्रथम श्री शलाउद्दीन अहमद	एल0आई0जी0	200	16.00	200	–	–	विन्यास चित्र में स्थल के अनुसार परिवर्तन करना पड़ा
			ई0डब्ल्यू0एस0	200	10.00	135	–	65	
			साइट-सर्विसेज	500	7.50	100	–	400	
			योग :	900	33.50			465	
2-	अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना	द्वितीय श्री कृष्ण कान्त	एच0आई0जी0	100	10.00	100	8.81	–	–
			एच0आई0जी0	120	24.00	119	9.84	एक	एक भवन का स्थान उपलब्ध नहीं है अन्यत्र प्लान होगा
			एल0आई0जी0 टाइप-2	200	14.00	173	1.87	27	–
			ई0डब्ल्यू0एस0 हडको फेज-3	400	14.00	400	0.08	–	–
			ई0डब्ल्यू0एस0 फेज-4	250	12.50	234	0.90	16	स्थल उपलब्ध नहीं है अन्यत्र प्लान होगा।
			साइट-सर्विसेज	400	6.00	–	–	400	विन्यास मानचित्र एस0टी0पी0 से प्राप्त हो गया है आगणन तैयार किये जा रहे हैं।
			हडको द्वितीय चरण के अन्तर्गत भवनों का निर्माण	–	2.00	–	0.13	–	अन्तिम भुगतान किये जा रहे हैं।
				1470	82.50		21.63	444	
3-	विभिन्न योजनायें एवं अहाता आदि	तृतीय श्री एच0एन0 दुबे	एम0आई0जी0	18	9.00	4	0.10	14	स्थल उपलब्ध नहीं हुआ अन्यत्र प्लान होगा।
			एल0आई0जी0	14	2.80	–	–	14	–
			ई0डब्ल्यू0एस0	220	1.98	48	0.80	172	नक्शे और आगणन तैयार हो रहे हैं।
			योग :	252	13.18	52	0.90	200	

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-	अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना	चतुर्थ श्री तेगबहादुर सिंह	एम०आई०जी० एक मंजिले	125	40.00	125	12.82	-	-
			एम०आई०जी० दो मंजिले राज्य सरकार	48	16.55	48	5.09	-	-
			एम०आई०जी० दो मं० हडको	48		48	-	-	-
			अल्प आय वर्ग	100	24.00	100	-	-	-
			ई०डब्ल्यू०एस०	250	12.50	250	5.79	-	-
		योग :		571	93.05	571	23.70		
5-	मोतीझील आवास योजना	पंचम श्री बी०एल० सिंह यादव	एल०आई०जी०	264	25.00	204	10.76	60	टेण्डर माँगे गये हैं।
			ई०डब्ल्यू०एस०	328	7.5	184	2.05	144	टेण्डर स्वीकृत।
			साइट-सर्विसेज	318	4.5	157	0.80	161	टेण्डर स्वीकृत।
		योग		910	37.00	545	13.61	365	
	कुल योग : - (पाँचों खण्ड का कार्य)			4103	259.83	2629	59.84	1474	

दीक्षित/-

COPY OF THE LETTER OF SHRI J.M.BENJAMIN, FRIBA, FIIA, SECRETARY

Dear Sir,

You will kindly remember that I was appointed a member of the Jury to assess the designs received in respect of the above competition organised by the Lucknow Development Authority. The results were duly announced on the basis of the assessment carried out by the jury members. Now I have received a letter from Shri Atul Srivastav, who was awarded the first prize. (His letter in original enclosed for your ready reference). As per conditions of the competition Sri Srivastav was to be entrusted with the work of preparation of architectural design of the said project. It is now given understand that the Lucknow Development Authority is intending to call quotations from various architects to assign the architectural design of the said project. It is now given to understand that the Lucknow Development Authority is intending to call quotations from various Architects to assign the architectural design work to one of them on the basis of the lowest tender received. I may state here that this system of organising a competition and then awarding the work to another architect on the basis of call of tenders is not as per the rules of the Indian Institute of Architects and is unethical. Such a system, if adopted, will have a demoralising effect on the practising architects who will not be willing to take part in such competitions in future. It is expected of a Government organisation to follow the rules and regulations laid down by professional bodies. I would, therefore, suggest that you may if necessary, call a meeting to decide the future line of action with regard to the above project, instead of adopting a procedure which can involve legal complications.

Shri Atul Srivastava, together with his partner, Shri Daljit Singh Pal, and their asociate architect, Shri Jasbir Sachdev have to their credit several important projects and have won many competitions. As such, they would be in a position to handle this project for putting up a building in Lucknow which can be a pace-setter in designs.

Yours truly,

Sd/- J.M.Benjamin

(J.M.BENJAMIN)

M/R ***

...

COPY OF THE LETTER OF 'V A S T U A N K H' ADDRESSED TO MR. J.M. BENJAMIN, SECRETARY, URBAN ART COMMISSION, N E W D E L H I.

Dear Sir,

Sub: CHITWAPUR COMMERCIAL COMPLEX, LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY.

****

As you are aware, being an honourable member of the Jury, our design was adjusted as the first award winner in the above competition. We are approaching you on this subject.

We understand from the Authority that they are intending to call quotations from various Architects and to assign the work to some other Architect for implementation and execution of our prize winning design, presumably to avoid payment of fees as prescribed by the Council of Architecture and Indian Institute of Architect.

This could be a very dangerous precedent and in future, no sanctity would be left for conducting competition of this nature. We are bringing to the notice of the Authority about the copyright of an Architect's work.

We also understand that it was suggested by you alongwith your co-assessors that considering the magnitude of project, the young firm headed by the undersigned, may be asked to associate with a firm of seniority and experience. We wish to bring to your attention that this project was done in association with a Delhi based firm of M/s. Pal & Associates' where again the design advisor was Mr. Jasbir Sachiv. This should satisfy any criteria, that may be described by the Authority and this would enable the Lucknow Development Authority to conduct and implement this project of great prestige thus setting a pace for many of such project to follow.

Even according to the conditions of the competition, the intentions were sufficiently clear that the author of the winning design would be asked to undertake the rest of the work in accordance with the I.I.A.code of practice.

We request you to intiate action so that no grave injustice is done to our firm which has legitimately and logically won the prestigeous competitopn. As expeditions action on your part to writ to the Vice-Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow on this matter with a copy to us at our Delhi Office will be greatly appreciated.

Thanking you,

Sd/-
Yours faithfully,
for VASTUANKH
Sd/-
(ATUL SRIVASTAVA)

M/R ***

विषय: कैटिल कालोनी (कामधेनु नगर) की स्थापना के सम्बन्ध में ।
= =

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कामधेनु नगर योजना का संकल्प वर्ष 1976 में किया गया था और उसी समय कुर्सी मार्ग पर वन विभाग से 600 एकड़ भूमि प्राप्त कर कब्ज़ा ले लिया गया था और भू-विन्यास के अनुसार प्रस्तावित 100 फुट, 80 फुट, 60 फुट तथा 30 फुट मार्गों के निर्माण के लिये दिनांक 7-12-76 को रू0 56,31,148/- की एक योजना स्वीकृत कर मुख्य मार्ग का निर्माण रू0 5,42,985/- के व्यय से प्रारम्भ भी कर दिया गया था । किन्तु मई, 77 में यह कार्य उसी स्थिति में रोक दिया गया था और इस निर्णय के साथ कि पूरी योजना स्वीकृत करा ली जाए तभी कार्य प्रारम्भ किये जाये, यह कार्य बन्द हो गया है ।

2- 10 मार्च, 1978 को वन विभाग के 1300 एकड़ क्षेत्र पर कामधेनु नगर बसाने की एक विस्तृत रूप रेखा विकास प्राधिकरण के सम्मुख रखी गयी जिस पर रू0 313,43 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित था । इस योजना के अनुसार कब्ज़ा प्राप्त 600 एकड़ भूमि के विकास की व्यवस्था थी और विकसित भूमि का मूल्य रू0 44.50 प्रति वर्ग मीटर आँका गया था ।

3- विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त योजना के विषय में निम्नलिखित कार्यवाही करने के आदेश दिये थे ।:-

(1) इस सम्बन्ध में जनता की राय प्राप्त कर ली जाए ।
(2) नगर के पालतू जानवरों की संख्या प्राप्त कर ली जाए ।
(3) शासन से आदेश भी प्राप्त कर लिये जायें ।
(4) जानवरों के मालिकों की संख्या व उनकी भूमि स्वामित्व की स्थिति जान ली जाए ।
(5) अन्य सम्भावित अवरोधों पर विचार कर लिया जाये ।
(6) नगर के चारों ओर उपलब्ध भू-भाग पर कामधेनु नगरों के बसाने की योजना पर विचार कर लिया जाए ।

4- पिछले समय में उपरोक्त विषयों पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया है । जन सेवकों और प्राधिकरण के सदस्यों से विस्तृत विचार विमर्श हुआ है । उन्होंने मार्गों और स्थलों का निरीक्षण किया है । शासन स्तर पर विचार-विमर्श हुआ है । नियोजन सम्बन्धी अड़चने तथा उनके मालिकों के विषय में सर्वेक्षण भी कराया गया है । उपरोक्त जाँच-पड़ताल विचार-विमर्श, अन्वेषण सर्वेक्षण के पश्चात नीति सम्बन्धी निर्णय हेतु निम्नलिखित विवेचन विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु प्रस्तुत है :-

(1) जन प्रतिनिधियों, प्राधिकरण के सदस्यों, मिल्क बोर्ड के अभियन्ताओं

क्रमशः:---

की सर्वसम्मत राय है कि पशुओं के निवास के लिए उनकी निवास योजनाऐं नगर से अलग बनायी जाए।

2- नियोजन विभाग भी सहमत है कि पशु निवास योजनाऐं नगर की आवासीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित स्थलों से बाहर बने जाये।

3- नगर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित पालतू दुधारु पशुओं की कुल संख्या 11,350 की है।

4- नगर के चारो ओर पशु निवास योजनायें बनायी जाने के लिए प्रथम चरण में कुर्सी मार्ग पर कब्जा प्राप्त 600 एकड़ भूमि, हरदोई मार्ग पर मूसाबाग से सलंग्न 500 एकड़ भूमि तथा रायबरेली रोड़ पर ग्राम कली पश्चिम के विस्तृत ग्राम समाज स्थल के पास 500 एकड़ भूमि पर इन योजनाओं का शुभारम्भ किया जाए। जैसे- जैसे आवश्यकता बढ़ती जायेगी, दूसरे चरण में इन योजनाओं को कानपुर मार्ग, फैजाबाद मार्ग तथा मोहान मार्ग पर बढ़ाया जायगा।

5- कुर्सी मार्ग पर 600 एकड़ भूमि विकास प्राधिकरण के कब्जे में है और उस पर योजनाबद्ध ढंग से कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

6- हरदोई मार्ग की भूमि के अर्जन के लिए सर्वेक्षण हो चुका है और अलग से भूमि अर्जन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

7- रायबरेली रोड़ पर स्थल का निर्धारण हो चुका है और सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाकर अर्जन हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

5- उपरोक्त तथ्यों पर पशु निवास योजनायें बनाने की नीति सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। कुर्सी मार्ग स्थित कामधेनु नगर की पूर्व प्रस्तावित रु0 313.43 लाख की योजना को बनाये हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है और इस बीच भवन निर्माण एंव विकास सम्बन्धी सामग्री में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है।

6- अतएव पिछले दिनों मिल्क बोर्ड के अधिकारियों एंव अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से इस विषय पर हुए विचार- विमर्श के अनुसार संशोधित भू-विन्यास के साथ बढ़े हुए मूल्यों पर आधारित संशोधित योजना प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

--: 0:- -

दीक्षित/

हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी बनाने हेतु भूमि का अर्जन

विषय:- लखनऊ शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये एवं शहर को स्वच्छ रखने हेतु यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि शहर के अन्तर्गत पल रहे पशुओं को नगर के बाहर नियोजित कामधेनु नगरों में बसाया जाय । उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये तकनीकी दृष्टि से पूरे नगर का सर्वेक्षण किया गया है और इनकी सफलता के लिये उपलब्ध योग्य स्थान हर दृष्टि से देखे गये है । कामधेनुनगरों के लिये पशुओं के लिये ~~x~~ स्वास्थ्य दायक स्थान, चारे की व्यवस्था, जल निकासी ,शहर में दुग्ध बेचने की सरलता तथा उपयुक्त चरागाह की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए ।

उपरोक्त दृष्टिकोण को रखते हुए नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर कामधेनुनगरों के बसाने की योजना बनाई गयी है उसीमें से हरदोई मार्ग की योजना भी एक है । हरदोई मार्ग का सर्वेक्षण हो चुका है और विवरण निम्नलिखित है ।

हरदोई रोड पर स्थित ग्राम बेगरिया व छंदोइया,बरावनखुर्द पीरनगर, बरी कला, एवं गंजरा हार की लगभग 1800 एकड़ भूमि को अर्जित कर कामधेनुनगर बसाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

इसकी चौहद्दी इस प्रकार है :-

उत्तर - ग्राम बरावन कला की भूमि व गोमती नदी ।

दक्षिण- लखनऊ हरदोई रोड ।

पूरब - सरफराजगंज व बालकगंज

पश्चिम- महीपतमऊ व बरावन कला ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्न विन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

1- उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल लगभग 1800 एकड़ है,को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।

2- योजना का नाम - "... कामधेनु नगर हरदोई रोड" रखने की अनुमति ।

मद स0: 11 पृष्ठ स0 11

विषय:- छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में,

छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की प्रतियोगिता के फलस्वरुप श्री अतुल श्रीवास्तव (वास्तुअंक), एवं श्री मोठारी क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार बिजेता घोषित हुये हैं। प्रथम पुरस्कार बिजेता श्री अतुल श्रीवास्तव को कार्यभार सौंपने हेतु विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक, 4.7.79 द्वारा एक निगोशियेटिंग समिति का ~~ग~~ गठन किया गया जिसने अपनी बैठक दिनांक, 3.9.79 को जो उपाध्यक्ष के कक्ष में हुई थी के अंतर्गत श्री अतुल श्रीवास्तव से उपरोक्त कार्य हेतु लिखित 'आफर' मांगा था। श्री अतुल श्रीवास्तव ने अपना लिखित आफर अपने पत्र दिनांक 8.9.79 एवं संलग्नक सहित प्रस्तुत कर दिया है। इस आफर के अनुसार यदि वह शेड्यूल 'ए' तक कार्य करेंगे तो कुल निर्माण लागत का 2.% उनकी फीस स्वरुप होगा, और यदि शेड्यूल 'ए' और 'बी' दोनों को मिलाकर कार्य करेंगे तो निर्माण लागत का 3.5% उनकी फीस स्वरुप होगा।

अस्तु निगोशियेटिंग समिति की रिपोर्ट तथा वास्तुअंक फर्म का 'आफर' निम्न विन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रस्तुत है:-

(क) क्या इस काम्पलेक्स को मेसर्स वास्तुअंक (अतुल श्रीवास्तव) से बनवाया जाये ?

(ख) यदि (क) स्वीकृत होता है तो दर क्या हो ?

(ग) यदि (क) स्वीकृत न हो तो फिर क्या तरीका अपनाया जावे ?

(घ) क्या इस बिल्डिंग को निर्माण निगम से बनवाना ठीक होगा। या सार्वजनिक रुप से निविदायें मांगी जायें।

(ङ.) यदि निर्माण निगम से यह बिल्डिंग बनवाई जाती है तो क्या शर्तें हों ?

*दीक्षित

12

आज विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4 जुलाई 1979 में लिये गये निर्णय के अनुसार निगोशिएटिंग कमेटी की बैठक हुई। निम्न उपस्थित थे:

1. श्री बी0के0चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. श्री राम मणि पाण्डेय, उप सचिव, उ0 प्र0 शासन, वित्त विभाग।
3. श्री ज्ञानेन्द्र निगम, सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

श्री जे0 पी0 दुबे, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उपस्थित नहीं थे। बैठक में निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक व उनके अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। साथ ही वास्तुअंक की ओर से उनके कुलेबरेटर श्री पाल से भी निगोशियेटिंग कमेटी के सदस्यों ने विचार विमर्श किया। इस सब के फलस्वरुप निम्न निर्णय लिये गये:

1- श्री पाल अपने आफर्स (OFFERS) लिखित रुप से लगभग एक सप्ताह के अंदर भेज देंगे। विचार विमर्श के दौरान उन्होने इंगित किया कि वह टोटल कास्ट का दो प्रतिशत, यदि निर्माण निगम से यह काम्पलेक्स बनवाया जाता है, तो चार्ज करेंगे और यदि प्राईवेट एजेन्सी से बनवाया जाता है तो तीन प्रतिशत (%) चार्ज करेंगे। अपने लिखित आफर में वह कार्य-क्षेत्र (स्कोप आफ वर्क्स) को विस्तार से देंगे। परन्तु प्रारम्भिक रुप से दो प्रतिशत मुख्यत: आरकीटैकचुरल डिजाइन व ड्राइंग्स तथा स्पेसीफिकेशन्स, स्ट्रक्चुरल ड्राइंग्स व ड्राइंग्स और बिल आफ क्वांट्टीज का होगा। निगोशिएटिंग समिति के सदस्यों का मत था कि यह फीस टोटल कास्ट पर न देकर उनको दो प्रतिशत केवल उन्हीं आईटमस पर दिया जावे जिसके कि डिजाईन, ड्राइंग्स वह दें या जिसके डिटेल्स बनायें। श्री पाल इस से सहमत प्रतीत नहीं हुये और उन्होंने दो प्रतिशत पूरे पर मांग की।

2- समिति के मत में सभी चीजों को देखते हुये यह भवन राजकीय निर्माण निगम से बनवाया उपयुक्त होगा परन्तु उनसे बनवाते समय निम्न चीजों को ध्यान में रखना होगा:

(1) आर्कीटैक्टस को दिया जाने वाला दो प्रतिशत उनके पंद्रह प्रतिशत में से काट लिया जायेगा और उनको तेरह प्रतिशत ही देय होगा। निर्माण निगम के तेरह प्रतिशत के मद में शेष सभी डिजाइन व स्वायल टेस्टिंग आदि कार्य सम्मिलित होंगे।

(2) उनकी कास्ट पर कंट्रोल रखने के लिये बिल आफ क्वांट्टीज और इसटीमेट्स बनाये जायेंगे और आर्कीटेक्टस व हमारे मुख्य अभियन्ता द्वारा चेकिंग के पश्चात ही इसटीमेटेड कास्ट वर्तमान दरों पर निकाली जायेगी। बिल आफ क्वांट्टीज के विषय में एक ऐग्रीड कास्ट कार्य प्रारम्भ करने के पहले ही बना दी जाय ताकि बाद में इस विषय में झगड़ा न हो।

(3) इसटीमेटेड कास्ट में वृद्धि न हो इस उद्देश्य से एक समय सीमा और उसके पश्चात पेनाल्टी क्लाज रखा जायेगा। जिसके लिये प्रबन्ध निदेशक, निर्माण निगम सहमत थे।

(4) कार्य के दौरान क्वालिटी टेस्टिंग के लिये हमारे इन्जीनियर्स का सुपरवीजन होगा जिसका कि प्रबन्ध निर्माण निगम करेगा। और क्वालिटी कन्ट्रोल भी इसके माध्यम से हमारे सुझावों के अनुसार होगा।

....2....

(5) परचेज कमेटी में विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता या विकास प्राधिकरण द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सम्बन्ध रहेंगे ।।।

(6) एकाउन्टस मासिक रूप से प्राधिकरण को दिये जायेंगे ।

(7) यदि कोई इक्वीपमेन्ट , इस्टीमेटेड कास्ट में सम्मिलित होगा और खरीदा जाता है तो उसका डिपरिशियेटेड वैल्यू, ओवरआल कास्ट में निकाल ली जायेगी या वह इक्वीपमेन्ट विकास प्राधिकरण स्वयं ले लेगा, जैसा कि हम निर्णय करेंगे ।

(8) निर्माण निगम सेकहा जायेगा कि वह बिल्डिंग की कास्ट सीलिंग शुरु में इंगित कर दें ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(बाल कृष्ण चतुर्वेदी)	(राम मणि पाण्डेय)	(ज्ञानेन्द्र नाथ निगम)
उपाध्यक्ष,	उप सचिव,	सदस्य
विकास प्राधिकरण,	उ0प्र0शासन,वित्त विभाग,	विकास प्राधिकरण,
लखनऊ	लखनऊ ।	लखनऊ ।
3.9.1979,	3.9.1979	3.9.1979

दीक्षित

COPY OF THE LETTER OF SHRI DALJIT SINGH PAL
ARCHITECT PLANNER, VASTUANKH, ARCHITECTS
DESIGNERS ENGINEERS & PLANNERS, G-48, GREEN-
PARK, N E W D E L H I- 110016
* * * * * * * * * *

8th September, 1979

Mr. B.K.Chaturvedi,
Vice-Chairman,
Lucknow Development Authority,
6- Jagdish Chandra Bose Marg,
L U C K N O W (U.P.)

SUBJECT: CHITWAPUR SHOPPING CUM OFFICE COMPLEX-
PLANNING AND DESIGN.
****

Dear Sir,

As desired by you in a meeting with us this week, we are enclosing herewith two schedules of Architects services. The schedule'A'is for the services which are expected when the Architectural Fee is 2% of the executed cost of project, as in the case of Kanpur Nagar Mahapalika where U.P.Rajkiya Nirman Nigam will construct the building and provide rest of the services.

The schedule (B)is the additional services which we will be pleased to provide to you, if required, for which we had requested you to give a total fee of 3 1/2% of the cost of executed work.

Also enclosed is a newspaper cutting which may be of interest to you.

We regret the delay in sending you this information.

Thanking you,

Yours faithfully,
for VASTUANKH,

Sd/-Illegible

for(D.S.PAL)

Encl: A.A.

M/R ***

ARCHITECTS SERVICES-SCHEDULE A

1. SKETCH STAGE

a. Take clients instructions regarding the requirements of the project as whole.

b. Visit site.

c. Prepare, in agreement with the client, a programme of accomodation and requirements.

d. Examine legislation, codes & standards as they effect the project.

e. Obtain from the client or prepare at Client expence a correct survey plan of the site with levels and complte information. The survey shall include all the necessary data related to existing public utility services, pavements, road widening, adjoing propeties, party walls, and boundaries.

f. Prepare preliminary concept sketches to explain the Architect's general understanding of the clients requirements and the outline of his plan including a preliminary estimate of the order of the cost involved.

g. Discuss the concept sketches with the clients and make such modifications as may be necessary to satisfy the client and obtain his approval.

2. PRELIMINARY STAGE

a. Prepare(with the assistence of consultents as necessary) preliminary scheme,report and estimate of cost in sufficient detail to enable the Architect to proceed with the working drawings stage of the project.(Estimate prepared here will be intended for clients budget forecasting)

b. Obtain client approval of the preliminary scheme,report and estimate of cost.

c. Prepare plans as necessary for approval of local Authority and assist client in obtaining approval of local Authority.

d. Obtain from the client or prepare at clients Expence test site, borings, soil test and such other tests required to provide essential design data from sub-soil conditions.

e. Obtain from the client or his surveyer information on all the existing services and prepare a existing services plan and advice any shifting if necessary.

3. WORKING DRAWING STAGE

1. Prepare designs and plans and decide type of foundations.

ii. Prepare and complete with the help of structural Engineer all architectural and structural working drawings including

a. Working drawings for all floors.
b. Details and Sections.
c. Details of doors, windows, openings and glazings.
d. Details of false ceilings if any.

iii. Prepare detailed specifications for all arechitectural and structural works.

4. CONSTRUCTION STAGE:

i. Supply to the contractor sufficient sopies of Architectural and structural drawings,schedule and specifications.

5. SUPERVISION STAGE:

1. Give supervision only when requested by the Client in writing and render him advice as referred to by him. M/R

ADDITIONAL ARCHITECTS SERVICES-SCHEDULE B

WORKING DRAWING STAGE

(i) Advice client and obtain approval on the form of contract and method of placing the main contract.

(ii) Provide the surveyors and other consultants with all the necessary information to allow them to perform their specialist work.

(iii) Discuss with the client and obtain approcalfor the procedure to be adopted with nominated sub-contractors and nominated suppliers.

(iv) Prepare the necessary schedules and document and undertake the agreed procedure in relation to nominated sub-contractors and suppliers.

(v). Prepare the necessary schedules and documents and undertake the agreed procedure in relation to all materials and goods.

(vi) Prepare and complete with the help of all consulting Engineers working drawings and specifications for electrical, water supply, sanitary installations,lifts, fire-fighting, air conditioning, layout of telephone conduit drainage, and other engineering works including:

a. Electrical circuit plans.
b. Substation capacity.
c. Specification of Mains & Sub-main.
d. System of distribution of electrical meters and water supply meters.
e. System of sewers and garbage disposal
f. Details of toilets.
g. Water storage tanks-overhead and underground.
h. System of calculating the rates.
i. Type, make and capacity of lights and esclators.
j. System of fire fighting, equipments, control room and details of dry and wet risers.
k. Traffic circulation.
l. Parking, its control and levies.

(vii) Prepare and coordinate the Architectural,Engineering and services work, complete working drawings,schedules, specifications and bill of quantities.

(viii) Prepare the approved form of contract.

Contd....

CONSTRUCTION STAGE:

i. Conduct the approved method of placing the main contract.

ii. Analyse, report and make recommendations to the client and assist in the final selection of the main contractor.

iii. Supply to the main contractor, sufficient copies of all the working drawings, schedules, specifications, bill of quantities and other contract documents to enable him to fullfil his obligations under the conditions under the conditions of the contract.

iv. Assist the Main Contractor to prepare a works Progress Schedule.

v. Prepare and supply to the main contractor such further drawings, specifications or details which may be required for the proper execution of works.

SUPERVISION STAGE

i. Check and approve shop drawings submitted by Contractors:

ii. Give periodical supervision and inspection as may be necessary to ensure that the works are being executed in general accordance with the contract. Constant supervision does not form part of the duties undertaken by the Architect and his supervision alone cannot guarantee that the work is carried out strictly in accordance with the drawings and Specifications.

iii. Direct the Clerk of Works and other Site Supervisory Staff, if appointed, to provide constant superintendence to ensure that the work is carried out strictly in accordance with the working drawings and specifications.

iv. Advise Client on the progress and quality of the work.

v. Advise client if the total of authorised expenditure islikely to be exceeded.

vi. Advice client if the Contract time is likely to be varied.

vii. Issue Variation Order on behalf of the Client on Client's instructions or if changes are necessary for technical reasons.

viii. Check Main Contractor's applications for payment(With the assistance of a Quantity Surveyer if necessary)

ix. Prepare interim Valuations(with the assistance of a Quantity Surveyer if necessary).

x. Issue certificate authorising payment.

xi. Certify accounts.

xii. Certify final completion of the works.

****

M/R ***

विषय : नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवासीय समस्या को दूर करने में प्राधिकरण निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है । किन्तु प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद की विभिन्न आवासीय योजनायें नगर से काफी दूर बसायी जा रही हैं, क्योंकि नगर के मध्य में योजनाओं के विकास के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है ।

2- प्राधिकरण की अलीगंज योजना एवं कानपुर रोड योजना जैसी वृहद् योजनाओं के साथ मोतीझील आवास योजना, नैपियर रोड एवं पेपरमिल योजना आदि में भी विकास कार्य प्रगति पर हैं । प्राधिकरण द्वारा नगर की दूर बसी हुई इन विशाल आवादियों से चारबाग स्टेशन तथा अन्य योजनाओं का यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये तीव्रगामी वाहनों से जोड़ने के लिये आटो-रिक्शा की व्यवस्था किये जाने का विचार है ।

3- उपरोक्त योजना कार्यान्वित करने के लिये यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के मैनेजर से सम्पर्क किया गया । बैंक निम्न शर्तों पर ऋण देने पर सहमत है :-

क- यूनाइटेड कामर्शियल बैंक अपनी योजना के अनुसार प्रियारिटी स्कीम में 100 प्रार्थियों को आटो-रिक्शा क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध करायेगा । कुल मूल्य का 25 प्रतिशत सम्बन्धित प्रार्थियों को अग्रिम के रूप में जमा करना होगा । शेष 75 प्रतिशत, 11 प्रतिशत ब्याज की दर से बैंक आटो-रिक्शा क्रय करने के लिये प्रार्थियों को उपलब्ध करायेगा ।

ख- बैंक सम्पूर्ण ऋण की धनराशि 11 प्रतिशत ब्याज की दर से संबंधित प्रार्थियों से 3 वर्ष में मासिक आसान किश्तों में वसूल करेगा ।

ग- बैंक सम्बन्धित प्रार्थियों से आवश्यकतानुसार ऋण की गारण्टी, आवश्यक लिखा-पढ़ी, गाड़ियों को हाइपोथिकेट करना या अन्य सुरक्षात्मक कार्यवाही स्वयं करेगा और साथ ही बैंक दिया गया ऋण प्रार्थियों से उपबन्धों के अनुसार स्वयं वसूल करेगा ।

घ- लखनऊ विकास प्राधिकरण जो भी अग्रिम धन प्रार्थियों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायेगा, बैंक अपने ऋण की किश्तों के साथ-साथ 11% ब्याज की दर से 3 वर्ष की मासिक किश्तों में वसूल करेगा और प्रत्येक माह की

क्रमश: - - -2.

आखिरी तारीख को प्राप्त की हुई ऋण की किश्त एवं ब्याज प्राधिकरण के खातें में हस्तान्तरित कर देगा ।

- - लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रार्थियों को दिया गया अग्रिम धन जो बैंक वसूल करेगा, वह बैंक 3 वर्षो के लिये रेकरिंग डिपाजिट के रूप में अपने पास रखेगा और इस पर जो भी ब्याज आयेगा वह प्राधिकरण के खाते में रहेगा ।

4- उपरोक्त से स्पष्ट है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्पूर्ण योजना का केवल 12.5 प्रतिशत प्रार्थियों को अग्रिम धन के रूप में बैंक में जमा करना होगा, जो 3 वर्ष के पश्चात् 11 प्रतिशत ब्याज सहित प्राधिकरण को वापस हो जायेगा ।

5- इस प्रकार 100 गाड़ियों के क्रय करने के लिये लगभग 16 लाख रूपये व्यय होंगे, जिसमें बैंक सम्बन्धित प्रार्थियों से 4 लाख रूपये अग्रिम धनराशि प्राप्त करना चाहेगा । उपरोक्त 4-00 लाख के 50 प्रतिशत अंश के रूप में प्राधिकरण अपने कोष से सम्बन्धित प्रार्थियों को सहयोग देगा और यह धन उपरोक्त के अनुसार 3 वर्ष तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के खातें में 11 प्रतिशत ब्याज सहित जमा होता रहेगा ।

6- समाचारपत्रों के माध्यम से वांछित प्रार्थियों से प्रार्थनापत्र मांगने के पहले बैंक द्वारा प्रार्थियों की जानकारी के लिये वांछित विवरण प्राप्त करके उपरोक्त का समावेश करते हुये इच्छुक प्रार्थियों से प्रार्थनापत्र प्राप्त किये जायेंगे और उनमें से 100 प्रार्थियों का चयन किया जायेगा । उक्त 100 प्रार्थियों के नाम यूनाइटेड कामर्शियल बैंक को अग्रिम कार्यवाही के लिये भेज दिये जायेंगे । बैंक अपनी आवश्यकतानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करायेगा । इस बीच प्राधिकरण मेसर्स बजाज आटोज़ व अन्य स्थलों से सम्पर्क करके 100 तीन पहिये वाले आटो-रिक्शा की पूर्ति की व्यवस्था करेगा ।

7- उपरोक्त विवरण प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

दिनाँक 28-9-79 को 10-00 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में हुई विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य-विवरण ।

=x =x =x =x =x =

उपस्थिति :

1-	श्री पी०पी०खन्ना	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री बी०जे०खोदायजी	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं पुर्नवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3-	श्री राम मणि पाण्डेय	उपसचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4-	श्री योगेन्द्र नारायण	ज़िलाधिकारी, लखनऊ ।
5-	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6-	श्री ओ०पी०विश्नोई	महा प्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश जलनिगम ।
7-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
8-	श्री करुणा शंकर बाजपेयी	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
9-	श्री एम०ए०लारी	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
10-	श्री बी०के०चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

अन्य उपस्थित :

1-	श्री ध्यान सिंह वर्मा	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

=x=x=x=x=x=

विषय संख्या:1 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या:2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण व्दारा उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

1- सचिव ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि डा०टन्डन ने यह लिखित रूप में दिया है कि उनके पास सन्दर्भित भूमि ख़सरा स० 415,416 ग्राम शेखापुर, जिसका क्षेत्रफल इस समय 1 बीघा 3 बिस्वा 10 बिसवान्सी है, के अलावा भारत वर्ष में कोई भूमि अथवा भवन नहीं है । प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाये तथा डा० जय शंकर टन्डन को उनकी इस अर्जित की गई भूमि में से 25% भूमि निर्धारित दरों व शर्तों पर आवन्टित कर दी जाये ।

क्रमश:---2

5- तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या:4 को लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के लिये तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के पास भूखण्ड, जिसपर पेट्रोलपम्प बना हुआ है, के बारे में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये तथा रिपोर्ट दी जाय कि पेट्रोल पम्प का भू-उपयोग परिवर्तन तथा लीज़ शर्तों में परिवर्तन किन परिस्थितयों में किया गया तथा यह भी आख्या दी जाये कि क्या ऐसा कोई और प्रेसीडेन्स इस क्षेत्र में है ।

6- नजूल सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट के लिये अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ़ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि राजस्व परिषद व्दारा केवल तीन लोगों की नियुक्ति की गई है जिसमें एक तहसीलदार , एक नायब तहसीलदार तथा एक क़ानून गो सम्मिलित है । इसमें से केवल एक तहसीलदार ने ही कार्य भार गृहण किया है । अत: राजस्व परिषद से निवेदन किया जाये कि शेष स्टाफ़ ,नायब तहसीलदार व क़ानून गो को शीघ्र ही नियुक्त कर दें । शेष स्टाफ़ के विषय में निर्णय लिया गया कि ज़िलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय से ट्रेन्ड लेखपाल, अमीन व सर्वेयर की लिस्ट माँग कर उनमें से आवश्यक स्टाफ़ शीघ्र नियुक्त कर लिया जाये । लिपिक व चपरासियों की व्यवस्था भी शीघ्र कर ली जाये ।

8- प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहन व्यक्तिगत प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि हाल में जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार जो संशोधन हुआ है, के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

9- श्रीमती भार्गव को सुना गया तथा उनका प्रतिवेदन निरस्त कर दिया गया ।

12- प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भवनों के निर्माण एवं भूखण्डों के विकास हेतु हडको से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निर्णय लिया गया कि अलीगंज योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में बनने वाले भवन/भूखण्डों के लिये भी शीघ्र ही ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किये जायें ।

15- प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों/नियोजकों को पोस्ट ग्रेज्युएट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम मणि पांडे उपसचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि उक्त एलाउन्स डिप्लोमा होल्डर्स के लिये 50 रुपये तथा डिग्री होल्डर्स के लिये 100/- है, अत: तद्नुसार ही एलाउन्स दिया जाये । अत: निर्णय लिया गया कि पोस्ट-ग्रेज्युएट एलाउन्स सम्बन्धी प्राधिकरण के पूर्व निर्णय को उक्त हद तक संशोधित करते हुए पालन किया जाये ।

क्रमश:-----3

20- अभियन्त्रण खण्ड के लिये चार जीपों के क्रय करने हेतु निर्णय लिया गया कि शासनादेशानुसार इन जीपों को क्रय करने के लिये शासन से एक्स-पोस्ट-फेक्टो स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।

<u>विषय संख्या:3</u> बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति विवरण ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया ।

<u>विषय संख्या:4</u> मोतीझील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भवनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> श्री सुरेन्द्र सिंह की निवेदित धनराशि रू010,68,208-50 पै0 होती है को स्वीकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- मकानों की कीमत को नियन्त्रित रखने के लिये एक सेल का गठन किया जाये जो आवास विकास परिषद तथा सी0बी0आर0आई, रूढ़की इत्यादि से विचार विमर्श करके मकानों की कीमत को नियन्त्रित करने के लिये अध्ययन करें ।

<u>विषय संख्या:5</u> अलीगंज योजना में लीज़रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्राधिकरण व्दारा ग़ाज़ियाबाद व कानपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित लाज़रेन्ट का अवलोकन किया गया । विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि लीज़रेन्ट निर्धारण के सम्बन्ध में एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्ष, श्री राम मणि पाण्डेय, उप सचिव, वित्त तथा श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य विकास प्राधिकरण, सदस्य होगें, गठित की जाती है जो लीज़ रेन्ट सम्बन्धी मामलों में विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगी ।

<u>विषय संख्या:6</u> क:हाता रसूल खां योजना में उत्तर प्रदेश जल निगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 व्दारा गठित उप समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन करते हुए निम्न निर्णय लिया गया :-

श्री जगत नरायन सिंह और उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों जिनमें सर्व श्री राजनरायन सिंह, तेजनरायन सिंह, हरिनरायन सिंह और श्री नरायन-सिंह 5 विस्थापित हैं उन्हे उनके आय वर्ग को देखते हुए 2 निम्न आय वर्गीय लगभग 1250 वर्ग फ़िट के भूखण्ड, 2 निम्न आय वर्गीय 960 वर्गफिट के भवन एवं एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग का भवन आवन्टित कर दिया जाये । वहां के शेष विस्थापितों को उनकी आय के अनुरूप निम्न आय वर्ग के अथवा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिये निर्मित भवनों का आवन्टन कर दिया जाय ।

उपसमिति ने सर्व श्री डी0पी0दीक्षित एवं के0वी0श्रीवास्तव छितवापुर क्षेत्र के विस्थापितों के विषय में भी विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि उनकी परिस्थितयों को देखते हुए उन्हे भी प्रत्येक को लगभग 1250 वर्गफिट का भूखण्ड अहाता रसूल खां में आवन्टित किया जाये ।

क्रमश:----4

ख : हाता रानी साहिबा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री खटिक पँचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया एवं निम्न निर्णय लिये गये :-

क : अहाता रानी साहिबा की पूरी भूमि प्रस्तावित योजना के अनुसार अर्जित कर ली जाय और वहां के विस्थापितों को वहीं पर उनकी आय वर्ग के अनुसार भवनों का निर्माण कर बसाने की व्यवस्था की जाये ।

ख : यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मलिन बस्ती उन्मूलन सम्बन्धी योजनाओं में तथा अहातों व घनी आबादी वाले क्षेत्रों में साइट एवं सर्विसिज़ के भूखण्ड विकसित न किये जायें ।

विषय संख्या:7 प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखों का पूर्ण करना ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि यह कार्य अक्तूबर 1979 तक पूर्ण कर लिया जाये ।

विषय संख्या:8 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या :29, शमन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

पारित प्रस्ताव: प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत शमन शुल्क की दरों से सम्बन्धित प्रस्ताव देखा गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में वैधानिक राय लेकर दरें शासन के स्वीकृतार्थ भेजी जायें ।

विषय स0: 9 लखनऊ के कुछ प्रमुख पार्कों में "ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट" की स्थापना ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- ग्लोब पार्क : ग्लोब पार्क के लिये श्री अश्वनी कुमार का अधिकतम आफ़र रु0 2-10 प्रति वर्ग फुट का स्वीकार किया गया ।

2- पार्क लिम्ब सेन्टर के सामने श्री वी0के0कपूर का अधिकतम आफ़र रु0 1-25 प्रति वर्ग-फिट का स्वीकार किया गया ।

3- शहीद पार्क श्री अरुण कुमार का अधिकतम आफ़र रु0 2·04 प्रति वर्ग-फुट का स्वीकार किया गया ।

क्रमश:---5

4- प्रतेंग वाला मैदान :

श्री अशोक कुमार का अधिकतम आफ़र रु० 1.67 प्रति वर्ग-फुट का स्वीकार किया गया ।

उपरोक्त ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट्स के लिये निम्नलिखित शर्तें रहेगी :-

1- आवेदक को भूमि का आवन्टन लाइसेन्सी के रूप में किया जायेगा ।

2- प्रथम लाइसेन्स तीन वर्ष के लिये होगा जो कुछ प्रतिबन्धों के साथ किया जायेगा ।

3- उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, लखनऊ व्दारा, जिस समय वह उचित समझेंगे उक्त लाइसेन्स का निरस्तीकरण 15 दिन का नोटिस देकर कर दिया जायेगा । लाइसेन्स के तीन-तीन वर्ष के बाद दो नवीनीकरण किये जा सकेंगे ।

4- लाइसेन्सी व्दारा अस्थाई निर्माण कराया जायेगा जिसका भवन चित्र/डिज़ाइन, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा पहले स्वीकृत करा लिया जायेगा ।

5- अगर कोई लाइसेन्सी निर्धारित ज़मीन से अधिक ज़मीन इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको उपरोक्त दरों पर ही उपाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति पर ही कुल 600 वर्ग फुट तक ज़मीन उपलब्ध कराई जा सकती है ।

6- उपाध्यक्ष व्दारा जो भी अन्य शर्तें लगाई जायेगी वह लाइसेन्सी को मान्य होगीं ।

7- लाइसेन्सी व्दारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ऐग्रीमेन्ट अवश्य करना होगा ।

विषय संख्या: 10 कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार विमर्श उपरान्त निर्णय किया गया कि कुर्सी-रोड पर स्थित 600 एकड़ भूमि में से केवल 20 एकड़ भूमि पर उक्त कालोनी की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाये तथा शेष क्षेत्र को स्टेजेज़ में विकास करके कामधेनु नगर बसाया जाये । चूंकि 1978 के मुकाबले में वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया है अत: कामधेनु नगर की संशोधित योजना प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी बनाये जाने हेतु निर्णय लिया गया कि उक्त रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु कार्यवाही की जाये तथा उक्त प्रयोजन हेतु हरदोई रोड पर स्थित ग्राम बिगरिया व छँदोइया, बरावनखुर्द, पीरनगर, बरी कला एवं गजराहार की लगभग 1800 एकड़ भूमि जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है अर्जित करने की कार्यवाही की जाये :-

उत्तर	:	ग्राम बरावन कला की भूमि व गोमती नदी ।
दक्षिण	:	लखनऊ हरदोई रोड ।
पूरब	:	सरफ़राज़गंज व बालकगंज ।
पश्चिम	:	महीपतमऊ व बरावनकला ।

क्रमश:--6

विषय संख्या : 11 छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : आइटम वाइज़ ओपेन टेन्डर आमन्त्रित किये जायें तथा निविदित निम्नतम धनराशि के आधार पर राजकीय निर्माण निगम से निगोशियेशन किया जाये ।

विषय संख्या: 12 नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : स्थगित किया गया ।

विषय संख्या: 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन व्दारा स्वीकृति रू0 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निक्षेप निधि (सिन्किंग फन्ड) की स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन व्दारा स्वीकृति 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार निक्षेपनिधि स्थापित की जाये :--

डिपाज़िट स0	भुगतान अवधि महीनों में	भुगतान धन मासिक	पूर्ण धन	यील्ड वैल्यु (पुन:विनियोजन उपरान्त)	भुगतान तिथि
1	101	33028·28	3335856·28	50,00,000/-	1-12-87
2	113	28060·88	3170879·44	50,00,000/-	1-12-88
3	125	24096·23	3012028·75	50,00,000/-	1-12-89
4	137	20871·01	2859328·37	50,00,000/-	1-12-90
5	149	18205·56	2712628·44	50,00,000/-	1-12-91
		1,24261·96	15090721·28	2,50,00,000/-	

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निक्षेप निधि के लिये बैंक से अलग-अलग अनुबन्ध निष्पादित किये जायें । उपाध्यक्ष को बैंक से अनुबन्ध करने हेतु अधिकृत किया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि बैलेन्स शीट्स में भी उक्त का प्राविधान किया जाये । उप-सचिव ,वित्त उपरोक्त विषय में अपनी कोई टिप्पणी प्राधिकरण को भेजना चाहें तो अगली बैठक से पूर्व अवश्य भेज दें । उक्त टिप्पणी न आने पर यह निर्णय अन्तिम होगा ।

क्रमश:----7

<u>विषय संख्या: 14</u> अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हर्टिकल्चर फार्म का कब्ज़ा लिये जाने के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर महापालिका के प्रस्ताव स0: 183 दिनांक 10-3-65 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त फ़ार्म का कब्ज़ा विशेष भूमि - अध्याप्ति अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि हार्टिकल्चर विभाग को उक्त फ़ार्म के बदले में अलीगंज योजना के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में से उतनी ही भूमि दे दी जाये ।

<u>विषय संख्या: 15</u> जनपथ मार्केट में निर्मित दूकानें हज़रतगंज के विस्थापितों को जिस किराये की दरों पर दी गयीं है, की दरों पर सामान्य व्यक्तियों को आवन्टित की गयी दूकानों पर भी लागू करने के लिये आवेदन-पत्र ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

<u>विषय संख्या: 16</u> चेतना मर्दित मस्तिष्क वाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> निर्णय लिया गया कि विद्यालयों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार विमर्श करने के लिये एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ, ज़िलाधिकारी लखनऊ एवं श्री एम0ए0लारी, सदस्य विकास प्राधिकरण लखनऊ, होगें । यह भी निर्णय लिया गया कि यह कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट विकास - प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे ।

<u>विषय संख्या: 17</u> विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास-परिषद लखनऊ में देय चिकित्सा भत्ता के ही अनुसार रु0 600/-प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 20/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दे दिया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यह निर्णय दिनांक 1-6-78 से लागू समझा जायेगा ।

ब्यूरो इन्टरप्राइज़ेज़ से भी इसकी स्वीकृत ले ली जाये ।

<u>विषय संख्या : 18</u> अतिरिक्त मँहगाई भत्ता विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

क्रमश:--8

::00x8x00::

निर्णय लिया गया कि दिनांक 1-12-78 से संशोधित दर से अतिरिक्त मँहगाई भत्ता प्राधिकरण के कर्मचारियों को शासकीय शासनादेश स0: 5438/टी/9-1-79-93 सा/78, दिनांक 30 जुलाई 1979 के अनुसार दे दिया जाये ।

विषय संख्या: 19 प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

निर्णय लिया गया कि श्री ललित किशोर मेहरोत्रा सहायक अभियन्ता को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन स्वीकार किया जाता है । यह भी निर्णय लिया गया कि यह विशेष वेतन उन्हें उस दिनांक से देय होगा जिस दिनांक से उन्होंने भूमि अर्जन का कार्य करना प्रारम्भ किया है ।

अध्यक्ष की अनुमति से
अन्य विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का स्थान, तिथि एवं समय निश्चित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण की बैठक एक माह छोड़कर तीसरे माह में अन्तिम शनिवार को 10-30 बजे पूर्वान्ह विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष में हुआ करेगी ।

यदि उक्त दिवस में अवकाश है तो उक्त बैठक अगले कार्य दिवस को उक्त समय व स्थान पर की जायेगी ।

ह0 डी0एस0वर्मा (ध्यान सिंह वर्मा) सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण	ह0 पी0पी0खन्ना (पी0पी0खन्ना) आयुक्त, लखनऊ मण्डल / अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

एम/आरxxx